रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2000/पौष 28, 1921
No. 48] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2000/PAUSA 28, 1921

खान और खनिज मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2000

सा. का. नि. 56 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2000 है ।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (i) में "(विनियमन और विकास)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "(विकास और विनियमन)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल नियमों के नियम 3 में "(1962 का 33)" कोष्ठकों, शब्द और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् ,—

"और अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में सूचीबद्ध परमाणु खनिजों से संबंधित अनुज्ञापन के संबंध में उसके अधीन बनाए गए नियमों "

4. मूल नियमों में "अध्याय 2— अनुमोदन प्रमाणपत्र" के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अध्याय 2

अवीक्षी अनुज्ञापत्र की मंजूरी

4. अवीक्षी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन— (1) अवीक्षी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन प्ररूप 'क' में राज्य सरकार को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की मार्फत किया जाएगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(2) (क) प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ ऐसी अप्रतिदेय फीस होगी जो पाच रुपए प्रतिवर्ग किलोमीटर की दर से संगणित की जाएगी ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप मे उस सरकार से या किसी अधिकारी या प्राधिकारी से जो इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो एक अनापत्ति प्रमाणपत्र खनन शोध्यो के संदाय के लिए जैसे स्वामिस्व या अनिवार्य भाटकया भू-पृष्ठ भाटक, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमो के अधीन सदेय हो :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने राज्य सरकार के समाधान पर्यन्त यह कथन करते हुए शपथ-पत्र दिया है कि उसके पास अवीक्षी अनुज्ञापत्र नही है और न ही उसके पास रहा है उसके लिए उक्त विधिमान्य अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नही होगा :

परन्तु यह कथन करने वाला शपथ-पत्र की कोई शोध्य बकाया नही है इस शर्त के अधीन पर्याप्त होगा कि पूर्वोक्तानुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र आवेदन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर प्रेषित कर दिया जाएगा और आवेदन अविधिमान्य हो जाएगा, यदि पक्षकार उक्त नब्बे दिन के भीतर प्रमाणपत्र फाइल करने मे असफल रहता है ·

परन्तु यह और भी कि जहा किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे खनन शोध्यों या आयकर की वसूली पर रोक लगाते हुए कोई व्यादेश जारी किया गया है वहां उसके संदाय न किए जाने को अवीक्षी अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए निरर्हता नही माना जाएगा :

परन्तु यह और कि जहा आवेदक एक भागीदारी फर्म या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वहां ऐसा प्रमाणपत्र, यथास्थिति, भागीदारी फर्म के सभी व्यक्तियों या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सभी सदस्यों द्वारा प्रेषित किया जाएगा ।

(ग) एक शपथपत्र यह कथन करते हुए कि आवेदक ने--

(i) अद्यतन आयकर विवरणी फाइल कर दी है ;

(ii) उसके लिए निर्धारित आयकर का सदाय कर दिया है ; और

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में यथाउपबंधित अपने निर्धारण के अधार पर आयकर का संदाय कर दिया है ।

(घ) एक शपथ-पत्र राज्य मे क्षेत्रों की खनिजवार विशिष्टियां दर्शित करते हुए, जो आवेदक या उसके साथ सयुक्त रूप से कोई व्यक्ति--

(i) पहले से ही अवीक्षी अनुज्ञापत्र के अधीन धारण करता है ;

(ii) आवेदन कर दिया है किन्तु मंजूर नही हुआ है ; और

(iii) इसके साथ-साथ आवेदन किया है ।

4क. आवेदन की अभिस्वीकृति— (1) जहां अवीक्षी अनुज्ञापत्र की अनुदत्त करने के लिए कोई आवेदन स्वयं परिदत्त किया जाए वहां उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति तत्काल की जाएगी ।

(2) जहां ऐसा आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक से प्राप्त हो वहां उसकी प्राप्ति उसी दिन अभिस्वीकृत की जाएगी ।

(3) अन्य किसी दशा मे, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन दिनों के भीतर अभिस्वीकृत की जाएगी ।

(4) प्रत्येक ऐसे आवेदन की प्राप्ति प्ररूप 'घ-1' में अभिस्वीकृत की जाएगी ।

5. अवीक्षी अनुज्ञापत्र के आवेदन का नामंजूर किया जाना-- (1) राज्य सरकार सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् और लेखबद्ध रूप में अभिलिखित कारणो से तथा आवेदक को संसूचित करने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के सपूर्ण या उसके भाग के लिए अवीक्षी अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगी ।

(2) जहां यह प्रतीत होता है कि आवेदन सभी तात्विक विशिष्टियो के साथ पूर्ण नही है या अपेक्षित दस्तावेजो के साथ नही है वहा राज्य सरकार, सूचना द्वारा, आवेदक से, यथास्थिति, किसी कमी को पूरा करने के लिए या दस्तावेजो को बिना विलंब के और किसी भी दशा मे आवेदक द्वारा उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के अपश्चात्, प्रेषित करने की अपेक्षा करेगी ।

6 आवेदक की मृत्यु पर अवीक्षी अनुज्ञापत्र के लिए मंजूरी की प्रास्थिति-- (1) जहां अवीक्षी अनुज्ञापत्र की मजूरी के लिए किसी आवेदक की, उसे अवीक्षी अनुज्ञापत्र मजूरी होने का आदेश पारित होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है वहां अवीक्षी अनुज्ञापत्र मजूर करने का आवेदन उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया माना जाएगा ।

(2) ऐसे आवेदक की दशा में जिसके संबंध में अवीक्षी अनुज्ञापत्र मंजूर करने का कोई आदेश पारित हो गया है किन्तु उसकी नियम 7क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट विलेख निष्पादित किए जाने से पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहां आदेश, मृतक के विधिक प्रतिनिधि के नाम में पारित किया गया माना जाएगा ।

7. अवीक्षी अनुज्ञापत्र की शर्तें—(1) इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अवीक्षी अनुज्ञापत्र किन्हीं अन्य शर्तों के साथ जो उनमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :—

(i) अवीक्षी अनुज्ञापत्र का धारक अनुज्ञापत्र के अधीन अनुदत्त क्षेत्र का निम्नलिखित रूप में लगातार त्याग करेगा :—

(क) दो वर्ष पूरा होने के पश्चात्, क्षेत्र एक हजार वर्ग किलोमीटर या अनुदत्त क्षेत्र के पचास प्रतिशत तक, इनमें जो कम हो, कम हो जाएगा ; और

(ख) क्षेत्र का और त्याग इस प्रकार किया जाएगा कि अनुज्ञापत्र धारक के पास तीसरे वर्ष के अंत में पच्चीस वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र न रहे ।

(ii) अवीक्षी अनुज्ञापत्र का धारक अनुज्ञापत्र की मंजूरी के आदेश में विनिर्दिष्ट न्यूनतम व्यय, वचनबद्धता और विनिर्दिष्ट भौतिक लक्ष्यों का कठोरता से पालन करेगा। इसमें असफल रहने पर अवीक्षी अनुज्ञापत्र रद्द किया जा सकेगा ।

(iii) अवीक्षी अनुज्ञापत्र का धारक अवीक्षा संक्रियाओं के दौरान उसके द्वारा एकत्रित सभी डाटा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगा जो अवीक्षी अनुज्ञापत्र की अवधि पूरी होने के कम-से-कम दो वर्ष पश्चात् किसी पूर्वेक्षण विनिधानकर्ता को उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

(iv) अवीक्षी अनुज्ञापत्र का धारक, यथास्थिति, वन विभाग या प्राइवेट भूमि के स्वामी की अनुज्ञा के बिना किसी वन भूमि या किसी प्राइवेट भूमि पर प्रवेश नहीं करेगा ।

(v) अवीक्षी अनुज्ञापत्र का धारक अवीक्षी संक्रियाओं में उसके द्वारा उपगत सभी व्ययों का यर्थात सही लेखा रखेगा ।

(vi) अवीक्षी अनुज्ञापत्र का धारक राज्य सरकार को उस अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए कार्य की छमाही रिपोर्ट और उसके द्वारा एकत्रित मूल्यवान डाटा प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट अवधि समाप्त होने के तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।

(vii) अनुज्ञापत्र धारक, अनुज्ञापत्र की समाप्ति के तीन मास के भीतर या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञापत्र के पर्यावसान पर, इनमें जो भी पूर्वतर हो, राज्य सरकार को उसके द्वारा किए गए कार्य की पूरी रिपोर्ट और अनुज्ञापत्र वाले क्षेत्र में अवीक्षी अनुज्ञापत्र के दौरान उसके द्वारा अर्जित खनिज स्रोतों की सुसंगत सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

(viii) उपखंड (vi) या उपखंड (vii) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, अनुज्ञापत्र धारक यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या डाटा पूर्णतः या भागतः गुप्त रखा जाएगा और राज्य सरकार उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट भाग को अनुज्ञापत्र की समाप्ति से या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञापत्र के पर्यावसान से, इनमें जो भी पूर्वतर हो, दो वर्ष की अवधि के लिए गुप्त रखेगी ।

(ix) अनुज्ञापत्र धारक केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी को रखे गए लेखों की परीक्षा के लिए प्रत्येक समय अनुज्ञात करेगा और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या इन निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसी जानकारी और विवरणियां भेजेगा ।

(x) अनुज्ञापत्र धारक केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसके द्वारा चलायी जा रही किसी अवीक्षी संक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा ।

(xi) अनुज्ञापत्र धारक ऐसी अनुज्ञापत्र फीस जो राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए और जो प्रत्येक वर्ष या उसके किसी भाग के लिए अनुज्ञापत्र धारक द्वारा धारित भूमि के लिए पांच रुपए प्रतिवर्ग किलोमीटर से कम नहीं हो और बीस रुपए प्रतिवर्ग किलोमीटर से अधिक न हो ।

(2) अवीक्षी अनुज्ञापत्र में ऐसी अन्य शर्तें अंतर्विष्ठ हो सकेंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित की जाएं जिनके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त है कि महानिदेशालय, नागर विमानन या रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि हवाई सर्वेक्षणों के दौरान उपस्थित रहेगा ।

(3) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, अनुज्ञापत्र में ऐसी और शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जिन्हें वह खनिज विकास के हित में और विभिन्न विधिक उपबंधों के अनुपालन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) इस नियम द्वारा या इसके अधीन अवीक्षी अनुज्ञापत्र के किसी धारक पर अधिरोपित किसी शर्त के भंग की दशा में राज्य सरकार लेखबद्ध आदेश द्वारा अनुज्ञापत्र को रद्द कर सकेगी, प्रतिभूति के रूप में अनुज्ञापत्र धारक द्वारा निक्षेपित रकम को पूर्ण रूप से या भागतः समपहृत कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश अनुज्ञापत्र धारक को अपने मामले को प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

7क. अवीक्षी अनुज्ञापत्र का तीन मास के भीतर निष्पादित किया जाना—(1) जहां किसी अवीक्षी अनुज्ञापत्र के लिए किए गए आवेदन पर ऐसे अनुज्ञापत्र के अनुदान के लिए कोई आदेश किया गया है वहां उस आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर या ऐसी अतिरिक्ति अवधि के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अनुज्ञात की जाए, ऐसा अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाला विलेख निष्पादित किया जाएगा और यदि ऐसा कोई विलेख आवेदक की ओर से हुए किसी व्यतिक्रम के कारण ऐसी अवधि के भीतर निष्पादित नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार अवीक्षी अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने वाले आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी और उस दशा में संदत्त फीस राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विलेख प्ररूप च-1 में या उसके इतने निकटवर्ती प्ररूप में होगा जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो ।

(3) उस अवधि के, जिसके लिए अवीक्षी अनुज्ञापत्र मंजूर किया गया है, प्रारंभ की तारीख वह होगी जिस तारीख को सभी आवश्यक अनापत्तियां अभिप्राप्त करने के पश्चात विलेख निष्पादित किया गया है ।

7ख. प्रतिभूति निक्षेप—(i) अवीक्षी अनुज्ञापत्र के लिए कोई आवेदक, नियम 7क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट विलेख के निष्पादन से पूर्व अनुज्ञापत्र के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रत्येक प्रतिवर्ग किलोमीटर या उसके भाग के लिए, जिसके लिए अनुज्ञापत्र मंजूर किया गया है, बीस रुपए की दर से राशि का निक्षेप करेगा ।

(ii) उपर्युक्त उपखंड (1) के अधीन किया गया कोई निक्षेप यदि नियमों के अधीन समपहृत नहीं किया गया है, आवेदक को नियम 7 के उपनियम (1)(vii) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के शीघ्र पश्चात् वापस कर दिया जाएगा ।

7ग. अन्य खनिजों की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां और खनन पट्टे— उन खनिजों से भिन्न, जिनके लिए अनुज्ञापत्र मंजूर किया गया है खनिजों के लिए अवीक्षी अनुज्ञापत्र के अधीन अनुदत्त क्षेत्र के भीतर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां या खनन पट्टे के अनुदान के लिए प्राप्त आवेदन इन आधारों पर नामंजूर नहीं किए जाएंगे कि अनुदान के लिए क्षेत्र उपलब्ध नहीं हैं । राज्य सरकार ऐसे आवेदनों का निपटारा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार करेगी :

परन्तु यदि अन्य खनिज के लिए कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त क्षेत्र के भीतर किसी अन्य आवेदक को अवीक्षी अनुज्ञापत्र के लिए अनुदत्त किया गया है और जहां अवीक्षी अनुज्ञापत्र धारक इस प्रकार बाद में अनुदत्त क्षेत्र के भीतर अपने अनुज्ञापत्र के अधीन आने वाले खनिजों की उपलब्धता, अवीक्षी अनुज्ञापत्र के अधीन आने वाले से भिन्न खनिजों के पूर्वेक्षण या खनन के लिए, उसके पश्चात् पाता है तो उसे ऐसे क्षेत्र को, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी से खाली कराने का अधिकार होगा और ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी अवीक्षी अनुज्ञापत्र धारक द्वारा की जाने वाली अवीक्षी संक्रियाओं में बाधा नहीं डालेगा ।

7घ. रजिस्टर— (1) अवीक्षी अनुज्ञापत्रों के लिए आवेदनों का एक रजिस्टर राज्य सरकार द्वारा प्ररूप छ-1 में रखा जाएगा ।

(2) अवीक्षी अनुज्ञापत्र का एक रजिस्टर राज्य सरकार द्वारा प्ररूप ज-1 में रखा जाएगा ।"

5. मूल नियमों के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"8. अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 का लागू होना– अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के उपबंध अवीक्षी अनुज्ञापत्रों की मंजूरी के लिए और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों तथा खनन पट्टों की मंजूरी और नवीकरण के लिए केवल उस भूमि के संबंध में लागू होंगे जिनमें खनिज किसी राज्य सरकार में निहित है ।"

6. मूल नियमों के नियम 9 में उपनियम (2) में,–

(i) खंड (क) में "फीस" शब्द के स्थान पर "अप्रतिदेय फीस" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) के परन्तुक में से "यह और कि" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (घ) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि जहां किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से ऐसी खनन संबंधी शोध्य या आयकर की वसूली को रोकते हुए कोई व्यादेश निकाला है वहां उनके असंदाय को उक्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के मंजूर करने या नवीकरण के प्रयोजन के लिए अनर्हरता नहीं माना जाएगा :

परन्तु यह कि जहां किसी व्यक्ति से राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप से ऐसा शपथ-पत्र दिया है जिसमें यह कथन किया गया है कि वह कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता है और उसने इसे धारण नहीं किया है, वहां उक्त विधिमान्य अनापत्ति प्रमाणपत्र पेश करना उसके लिए आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि शपथित शपथ-पत्र जिसमें यह कथन किया गया हो कि कोई शोध्य बकाया नहीं है इस शर्त के अधीन पर्याप्त होगा कि ऊपर अपेक्षित प्रमाणपत्र अविधिमान्य हो जाएगा यदि पक्षकार उक्त नब्बे दिन के भीतर प्रमाणपत्र फाइल करने में असफल रहता है ।"

(iv) खंड (च) में से "प्रत्येक" शब्द का लोप किया जाएगा ।

(v) खंड (छ) में,–

(क) दूसरे परन्तुक में से "यह और कि" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ख) दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तुक यह और कि नवीकरण के मामले में वहां अतिरिक्त सहमति अपेक्षित नहीं होगी जहां अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के दौरान सहमति पहले ही अभिप्राप्त कर ली गई है ।"

(ग) तीसरे, चौथे और पांचवें परन्तुको का लोप किया जाएगा ।

7. मूल नियमों के नियम 11 में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(4) राज्य सरकार उपनियम (2) में विहित समय सीमा के पश्चात् पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन के प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ कर सकेगी यदि नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति के अवसान के पूर्व किया गया है ।" ।

8. मूल नियमों के नियम 12 में, उपनियम (2) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्राप्त आवेदनों पर केवल तभी विचार किया जाएगा यदि उनका पहले निपटारा नहीं किया गया है ।" ।

9. मूल नियमों के नियम 13 का लोप किया जाएगा ।

10. मूल नियमों के नियम 14 में,—

(क) (1) में,—

(i) खंड (vii) में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति ऐसे व्यक्ति को अंतरित नहीं की जाएगी जिसने यह कथन करते हुए शपथ-पत्र फाइल नहीं किया है कि उसने अद्यतन आयकर विवरणियां फाइल कर दी है और उस पर निर्धारित आयकर का संदाय कर दिया है तथा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में यथाउपबंधित स्वयं निर्धारण के आधार पर आयकर का संदाय कर दिया है और सिवाय तब जब कि राज्य सरकार को पांच सौ रुपए की फीस का संदाय किया गया हो ।

(ii) खंड (ix) में "खान अधिनियम, 1952" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1952 का 35) और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उपबंध जहां तक पश्चातवर्ती अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में अंतर्विष्ट परमाणु खनिजों से संबंधित हैं ।";

(iii) खंड (xii) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. राज्य सरकार या तो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से या केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेंगी जो खनिज विकास के हित में, जिसमें परमाणु खनिजों का विकास सम्मिलित है, आवश्यक हों ।"

11. मूल नियमों के नियम 18 में "शुद्ध" शब्द के स्थान पर "यथार्त" शब्द रखा जाएगा ।

12. मूल नियमों के नियम 22 में,—

(क) (i) उपनियम (3) में खंड (i) के उपखंड (क) में "फीस" शब्द के स्थान पर "अप्रतिदेय फीस" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) खंड (घ) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु जहां किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी खनन संबंधी शोध्य या आयकर की वसूली को रोकते हुए कोई व्यादेश निकाला है वहां उनके असंदाय को उक्त खनन पट्टे को मंजूर करने या नवीकरण के प्रयोजन के लिए निरर्हता नहीं माना जाएगा :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप से शपथ-पत्र दिया है जिसमें यह कथन किया गया है कि वह कोई खनन पट्टा धारण नहीं करता है और उसने खनन पट्टा धारण नहीं किया है वहां उक्त उसके लिए विधिमान्य अनापत्ति प्रमाणपत्र पेश करना आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु उचित रूप से शपथित शपथ-पत्र जिसमें यह कथन किया गया है कि कोई शोध्य रकम बकाया नहीं है, इस शर्त के अधीन पर्याप्त होगा कि उपरोक्त अपेक्षित प्रमाणपत्र आवेदन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर प्रेषित कर दिया जाएगा और यदि पक्षकार उक्त नब्बे दिन के भीतर यह प्रमाणपत्र फाइल करने में असफल रहता हे तो आवेदन अविधिमान्य हो जाएगा :

परन्तु यह और कि उपखंड (घ) के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र की मंजूरी उन खनन शोध्य के संदाय के दायित्व से ऐसे प्रमाणपत्र के धारक को उन्मोचित नहीं करेगी जो बाद में अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा संदेय जाएं ।

(iii) उपखंड (छ) में से "प्रत्येक" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपखंड (ज) में चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें परन्तुकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(4क) उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार खनिज संरक्षण और विकास नियम 1988 के नियम 42 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट 'क' प्रवर्ग खानों से भिन्न खानों के लिए गैर-धात्विक या औद्योगिक खनिजों के संबंध में खनन रेखांक अनुमोदित करने के लिए सक्षम होगी :

परन्तु राज्य सरकार खनन रेखांक के अनुमोदन की शक्ति का प्रयोग ऐसे अधिकारी या अधिकारियों के माध्यम से करेगी जो इस प्रयोजन के लिए ऐसी अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखते हों जो समय-समय पर भारतीय खान ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार के पास ऐसा अधिकारी नहीं है जो अपेक्षित अर्हरताएं और अनुभव रखता हो वहां उस सरकार के संबंध में पूर्वोक्तानुसार खनन रेखांक के अनुमोदन की शक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार के पास किसी भविष्य की तारीख में अपेक्षित अर्हरताओं और अनुभव वाले अधिकारियों के उपलब्ध होने की दशा में, राज्य सरकार भारतीय खान ब्यूरो के महानिदेशक को इस विषय की रिपोर्ट करेगी और पूर्वोक्तानुसार राज्य सरकार उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार को बिना किसी निर्देश के खनन रेखांक की अनुमोदन की शक्ति का प्रयोग करेगी । ";

(ग) उपनियम (5) में,–

(i) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(i) खनिज पदार्थ की प्रकृति और विस्तार दर्शाते हुए पट्टे वाले क्षेत्र के रेखांक, वह/वे स्थल जहां आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित पूर्वेक्षण डाटा पर आधारित खनन संक्रियाएं प्रस्तावित हैं ";

(ii) खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(v) खनन की अंनतिम स्कीम और वार्षिक कार्यक्रम तथा पांच वर्ष के लिए वर्षानुवर्ष उत्खनन के लिए रेखांक ; और ";

(घ) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(6) एक बार अनुमोदित खनन रेखांक पट्टे की संपूर्ण अवधि के लिए विधिमान्य होगी :

परन्तु खनन रेखांक का कोई उपांतरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उपांतरित खनन रेखांक का ऐसा अनुमोदन खनन पट्टे की बाकी अवधि के दौरान विधिमान्य रहेगा । " ।

13. मूल नियमों के नियम 22खख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"22खख (1) नियम 63 के उपबंधों के होते हुए भी, अनुमोदन के लिए खनन रेखांक अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ठ खनिजों के सिवाय, यथास्थिति, भारतीय खान ब्यूरोके महानियंत्रक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा ;

(2) नियम 54 के उपबंधों के होते हुए भी भारतीय खान बयूरो के मुख्य खान नियंत्रक से भिन्न खनन रेखांक अनुमोदित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा खनिजों के लिए, जो अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में सूचीबद्ध खनिजों से भिन्न हैं, खनन रेखंक के संबंध में किए गए आदेश या जारी किए गए निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या निदेश की संसूचना से तीस दिन के भीतर ऐसे

प्राधिकारी को आदेश या निदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा जिससे उक्त अधिकारी अव्यवहित रूप में अधीनस्थ हैं :

परन्तु ऐसा कोई आवेदन उक्त तीस दिन की अवधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि आवेदक प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास समय के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था ।

(3) उपनियम (1)के अधीन पुनरीक्षण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् प्राधिकारी उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किए गए आदेश या जारी किए गए निदेश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा ;

(4) भारतीय खान ब्यूरो के मुख्य खान नियंत्रक द्वारा खनन रेखांक के अनुमोदन की बाबत किए गए आदेश या जारी किए गए निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या निदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर भारतीय खान ब्यूरो महानियंत्रक को ऐसे आदेश या निदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु ऐसा कोई आवेदन उक्त तीस दिन की अवधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि आवेदक भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक का यह समाधान कर देता है कि समय के भीतर आवेदन न किए जाने का उसके पास पर्याप्त कारण था ;

(5) उपनियम (4) के अधीन ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर भारतीय खान ब्यूरो का महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो के मुख्य खान नियंत्रक द्वारा किए गए आदेश या जारी किए गए निदेश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा ।

(6)(क) उपरोक्त उपनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खनन रेखांक की बाबत किए गए आदेश या जारी किए गए निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या निदेश की संसूचना से तीस दिन के भीतर भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक को आदेश या निदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ;

(ख) पूर्ववर्ती उपनियमों में प्रगणित प्रक्रिया, यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे आवेदन के निपटारे में अपनायी जाएगी ।

(7) खनन रेखांकों के अनुमोदन के संबंध में उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन शक्तियां निदेशक, खोज और अनुसंधान, परमाणु खनिज निदेशालय, हैदराबाद द्वारा प्रयोग की जाएगी और उपनियम (3) से उपनियम (5) के अधीन पुनरीक्षण की बाबत सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई द्वारा प्रयोग की जाएंगी जहां तक वे अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट परमाणु खनिजों से संबंधित हैं ।

(8) खनन रेखांक के अनुमोदन की बाबत उपनियम (1) से उपनियम (5) के अधीन शक्ति और पुनरीक्षण जहां तक वे अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट कोयला और लिग्नाइट से संबंधित है कोयला विभाग द्वारा अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त अभिहित प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाएंगी ।" ।

14. मूल नियमों के नियम 22ग में,—

(i) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) मान्यता दस वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए अनुदत्त की जाएगी और एक बार में दस वर्ष से अनधिक वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकेगा :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् लेखबद्ध रूप में अभिलिखित कारणों से मान्यता को नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा ।"

(ii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) मान्यता के लिए किसी आवेदन की मंजूरी या नवीकरण से इंकार करने वाले संक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को की जाएगी और उस पर उसका आदेश अंतिम होगा ";

(iii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजन के लिए, मुख्य खान नियंत्रक, खान नियंत्रक और प्रादेशिक खान नियंत्रक सक्षम प्राधिकारी समझे जाएंगे । " ।

15. मूल नियमों के नियम 24क में,—

(i) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) अधिनियम के पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिज के संबंध में अनुदत्त खनिज पट्टे का नवीकरण या उनके नवीकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त किए जा सकेंगे । ";

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) ऐसे खनिज के संबंध में जो अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट नहीं हैं अनुदत्त खनिज पट्टे का नवीकरण या उनके नवीकरण राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त किए जा सकेंगे । ";

(iii) उपनियम (7) का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(10) उपनियम (1) में विहित समय सीमा के पश्चात् खनिज पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन में हुए विलंब को राज्य सरकार माफ कर सकेगी यदि आवेदन पट्टे के पर्यावसान से पूर्व किया गया है " ।

16. मूल नियमों के नियम 25 का लोप किया जाएगा ।

17. मूल नियमों के नियम 27 में,—

(क) उपनियम (1) में,—

(i) खंड (झ) में "सही लेखा" शब्दों के स्थान पर "यथार्त और सही लेखा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ट) में "खान अधिनियम, 1952" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(1952 का 35) और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) जहां तक वे अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में सम्मिलित परमाणु खनिजों से संबंधित हैं ";

(ख) उपनियम (2) के खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (ठक) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ठक) खनिज पट्टे के पर्यावसान के पश्चात् या पूर्वतर अवसान या अभ्यर्पण या परित्याग के पश्चात् पट्टाधृत क्षेत्र से खनिज, अयस्क, संयंत्र, मशीनरी और अन्य संपत्तियों को हटाने के लिए समय सीमा ;";

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) राज्य सरकार या तो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से या केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर ऐसी अतिरिक्त शर्तें खनिज विकास के हित में जिसमें परमाणु खनिजों का विकास सम्मिलित है, अधिरोपित कर सकेगी जिन्हे वह आवश्यक समझे । " ।

18. मूल नियमों के नियम 28 में, उपनियम (4) में स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 3.– ऐसे खनिज पट्टेदार के मामले में जिन्होंने अवीक्षी संक्रियाएं अपने ऊपर ले ली हैं या ऐसे खनिज पट्टेदार के मामले में जिसका खान विकास में पूंजी विनिधान दो सौ करोड़ रुपए से अधिक की योजना बनाई गई है और जहां खान विकास दो या अधिक वर्षों में पूरा होने की संभावना है वहां राज्य सरकार इसे लगातार दो वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए खनन संक्रियाओं के प्रारंभ न होने के लिए पर्याप्त कारण मानेगी ।" ।

19. मूल नियमों के नियम 31 में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(2) उस अवधि के प्रारंभ की तारीख जिसके लिए खनिज पट्टा अनुदत्त किया गया है वह तारीख होगी जिसको उपनियम (1) के अधीन सम्यक रूप से निष्पादित विलेख रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।" ।

20. मूल नियमों के नियम 32 में "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

21 मूल नियमों के नियम 34 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"35. कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार– जहां एक ही भूमि के संबंध में दो या अधिक व्यक्तियों ने अवीक्षी अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है वहां राज्य सरकार धारा 11 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए, धारा 11 की उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (घ) मे उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त, आवदेक द्वारा खनिज के वास्तविक उपयोग पर विचार करेगी ।"

22. मूल नियमों के नियम 37 में,--

(i) उपनियम (1) में,--

(क) "प्रथम अनुसूची" शब्दों के पश्चात् "के भाग क और भाग ख" शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) खंड (ख) में "कोई ऐसा" शब्दों के पश्चात् "सद्भावी" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।

(ii) उपनियम (2) में चौथे परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

23. मूल नियमो के नियम 37क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"38. पट्टो का समामेलन-- राज्य सरकार, खनिज विकास के हित में लेखबद्ध रूप मे अभिलिखित कारणों से पट्टाधारी द्वारा धारित दो या अधिक लगे हुए पट्टों को समामेलित करने की अनुज्ञा दे सकेगी :

परन्तु समामेलित पट्टो की अवधि उस पट्टे की सहविस्तारी होगी जिसकी अवधि पहले समय होगी :

परन्तु यह और कि अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख मे विनिर्दिष्ट खनिजो के पट्टों के संबंध में ऐसे समामेलन के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा ।" ।

24. मूल नियमो के नियम 39 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"39. अंतरण और समामेलन के लिए अवधि जो लंबित है– इन नियमो के प्रारंभ पर लंबित खनिज पट्टे के अंतरण या खनिज पट्टों के समामेलन के लिए आवेदन इन नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा ।" ।

25. मूल नियमो के नियम 54 में उपनियम (1क) का लोप किया जाएगा ।

26. मूल नियमो के नियम 57 में,–

(क) उपनियम (1) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "अवीक्षी अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण् अनुज्ञप्ति और खनन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (1) और उपनियम (2) में "मुख्य खान निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, "महानिदेशक, खान सुरक्षा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (2) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां और खनन पट्टे" शब्दों के स्थान पर "अवीक्षी अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां और खनन पट्टे" शब्द रखे जाएंगे ;

27. मूल नियमों के नियम 59 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) कोई क्षेत्र--

(क) जो पहले किसी अवीक्षी अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन धारित था या धारित किया जा रहा है ; या

(ख) जो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा खनन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए आरक्षित किया गया है ; या

(ग) जिसके संबंध में, यथास्थिति, नियम 7क के उपनियम (1) या नियम 15 के उपनियम (1) या नियम 31 के उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति या पट्टा अनुदत्त किए जाने का आदेश प्रतिसंहृत किया गया है ; या

(घ) जिसके संबंध में धारा 17 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन कोई अधिसूचना निकाली गयी है ; या

(ङ) जिसे राज्य सरकार द्वारा या अधिनियम की धारा 17क के अधीन आरक्षित किया गया है ;

अनुदान के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि--

(i) इस आशय की एक प्रविष्टि कि यह क्षेत्र अनुदान के लिए उपलब्ध है, यथास्थिति, नियम 7घ के उपनियम (2) या नियम 21 के उपनियम (2) या नियम 40 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट रजिस्टर में नहीं की गयी है ; और

(ii) अनुदान के लिए इसकी उपलब्धता राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दी गई हो और इसमें वह तारीख (जो ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से पूर्वतर नहीं होगी) विनिर्दिष्ट न कर दी हो जिसको ऐसा क्षेत्र अनुदान के लिए उपलब्ध होगा :

परन्तु इस नियम की कोई बात इस तथ्य के होते हुए भी कि पट्टे का पहले ही पर्यासवान हो चुका है मूल पट्टेदार या उसके विधिक वारिस के पक्ष मे पट्टे के नवीकरण को लागू नही होगी :

परन्तु यह और कि जहां नियम 58 के अधीन या अधिनियम की धारा 17क के अधीन कोई क्षेत्र किसी सरकारी कंपनी को अनुदत्त किए जाने के लिए प्रस्तावित है वहां खंड (ii) के अधीन किसी अधिसूचना का निकाला जाना अपेक्षित नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई क्षेत्र अवीक्षी अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन धारा 11 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त किया गया है वहां खंड (ii) के अधीन किसी अधिसूचना का निकाला जाना अपेक्षित नहीं होगा ।"।

28. मूल नियमों के नियम 60 में,--

(क) "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनिज पट्टे" शब्दों के स्थान पर "अवीक्षी अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनिज पट्टे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) जहां ऐसी कोई अधिसूचना जारी की गई है और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि का पर्यावसान नहीं हुआ है, वह समयपूर्व समझे जाएंगे और ग्रहण नहीं किए जाएंगे ।"

29. मूल नियमों के नियम 61 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएग, अर्थात् :–

"61. पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को कतिपय जानकारी का दिया जाना– जहां कोई क्षेत्र पहले किसी अवीक्षी अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन धारित है, वहां वह व्यक्ति जिसे ऐसा अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति या पट्टा अनुदत्त किया गया था, नए अनुज्ञापत्र धारक या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधार को उस क्षेत्र में और उसके आसपास के साठ मीटर की पट्टी में परित्यक्त कार्यकरणों के सभी मूल रेखांकों या उनकी प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएगा ।" ।

30. मूल नियमों के नियम 62 में,–

(i) उपनियम (1) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "अवीक्षी अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(2) यदि किसी अवीक्षी अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे का धारक बिना पर्याप्त कारण के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट जानकारी देने में असफल रहता है तो राज्य सरकार, यथास्थिति, अवीक्षी अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे का पर्यावसान कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, यथास्थिति, अवीक्षी अनुज्ञापत्र धारक या अनुज्ञप्ति धारक या पट्टेदार को अपना पक्ष कथन करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

31. मूल नियमों के नियम 66 में,–

(क) उपनियम (1) में,–

(i) आरंभिक पैरा में "अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार" शब्दों के स्थान पर "अनुज्ञापत्र धारक या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) "पूर्वेक्षण या खनन" शब्दों के स्थान पर, जहा-जहां वे आते हैं, "अवीक्षी या पूर्वेक्षण या खनन" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) में "सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, नई दिल्ली" शब्दों के स्थान पर "निदेशक, खोज और अनुसंधान, परमाणु खनिज निदेशालय, हैदराबाद" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन" शब्दों के स्थान पर "अवीक्षी अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन" शब्द रखे जाएंगे ।

32. मूल नियमों के नियम 66क में,–

(क) उपनियम (1) में,–

(i) खंड (i) में "परमाणु खनिज विभाग, नई दिल्ली" शब्दों के स्थान पर "खोज और अनुसंधान, परमाणु खनिज निदेशालय, हैदराबाद" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(2) ऐसी पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के अनुषंग में उपलब्ध हुए परमाणु खनिजों की मात्राएं पृथकतः संगृहीत और भंडारकृत की जाएंगी और उस तथ्य की रिपोर्ट प्रत्येक तीन मास में सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई और निदेशक, खोज और अनुसंधान, परमाणु खनिज निदेशालय, हैदराबाद को अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा ऐसी और कार्रवाई करने के लिए भेजी जाएगी जो खोज और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय या परमाण विभाग द्वारा निदेशित की जाएं" ।

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा,–

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार परमाणु ऊर्जा विभाग से उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने पर और राज्य सरकार को स्वामिस्व का संदाय किए जाने पर परमाणु खनिजों की किसी मात्रा को हटाने या व्ययन करने के लिए स्वतंत्र होगा "।

(ग) उपनियम (3) और उसके परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर राज्य सरकार की मार्फत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उपबंधों के अधीन उक्त परमाणु खनिजों को हथालने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई को आवेदन करेगा :

परन्तु यदि परमाणु ऊर्जा विभाग की राय में ऐसे पूर्वेक्षण/खनन संक्रियाओं के अनुषंग में प्राप्त किए गए परमाणु खनिज लाभकारी उपयोज्य श्रेणी का नहीं है या प्राप्त की गई मात्रा तुच्छ है तो वह राज्य सरकार को अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार से पृथक अनुज्ञप्ति/पट्टा अभिप्राप्त करने की छूट देने या इन नियमों के अधीन परमाणु खनिजों को सम्मिलित करने की सलाह दे सकेगा।"।

(घ) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) नियम 66(1)(ख) और इस नियम के प्रयोजन के लिए 'परमाणु खनिज' से अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में सूचीबद्ध खनिज अभिप्रेत है।"।

33. मूल नियमों के नियम 69 में खंड (x) में "रूटाइल" शब्द के पश्चात "ल्यूकोगजीन" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

34. मूल नियमों के नियम 71 का लोप किया जाएगा।

35. मूल नियमों के नियम 72 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) अवीक्षी अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे का धारक उस भूमि की सतह के अधिभोगी को जिसके संबंध में वह, यथास्थिति, अवीक्षी अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा धारण करता है उतने वार्षिक प्रतिकर का संदाय करने का दायी होगा जितना राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत किसी अधिकारी द्वारा उपनियम (2) से उपनियम (4) में उपबंधित रीति में अवधारित किया जाए।"

36. मूल नियमों के नियम 73 में,—

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिख्त उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) किसी अवीक्षी अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार भूमि में अवीक्षी या पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं द्वारा हुए नुकसान का, यदि कोई हो, निर्धारण करेगी और यथास्थिति, अनुज्ञापत्र धारक या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा भूमि सतह के अधिभोगी को संदेय की जाने वाली रकम अवधारित करेगी";

(ii) उपनियम (2) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे" शब्दों के स्थान पर "अवीक्षी अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे" शब्द रखे जाएंगे।

37. मूल नियमों के नियम 75 में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि राज्य सरकार अधिसूचना में उल्लिखित अवधि के भीतर पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं करने में असफल रहती है तो इस प्रकार जारी की गई अधिसूचना उक्त अवधि की समाप्ति पर व्यपगत हो जाएंगी जब तक कि यह अवधि नई अधिसूचना द्वारा विस्तारित नहीं कर दी गई हो"।

38. मूल नियमों की अनुसूची 1 में,—

(क) "2. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप ख" अंक, शब्द और अक्षर से प्रारंभ होकर " 15. खनिज पट्टे के अंतरण के लिए प्रतिमान प्ररूप ण" अंको, शब्दों और अक्षर पर समाप्त होने वाले भांग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अनुक्रमणिका

1.	अवीक्षी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन	प्ररूप क
2.	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन	प्ररूप ख
3.	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टे या नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति	प्ररूप घ
4.	अवीक्षी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन की प्राप्ति	प्ररूप घ-1
5.	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन	प्ररूप ङ
6.	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख	प्ररूप च
7.	अवीक्षी अनुज्ञापत्र विलेख	प्ररूप च-1
8.	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदनों का रजिस्टर	प्ररूप छ
9.	अवीक्षी अनुज्ञापत्रों के लिए आवेदनों का रजिस्टर	प्ररूप छ-1
10.	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों का रजिस्टर	प्ररूप ज
11	अवीक्षी अनुज्ञापत्रों का रजिस्टर	प्ररूप ज-1
12.	खनन पट्टे के लिए आवेदन	प्ररूप झ
13.	खनन पट्टे के नवीकरण के लिए	प्ररूप ञ
14.	खनन पट्टा विलेख	प्ररूप ट
15.	खनन पट्टे के लिए आवेदनों का रजिस्टर	प्ररूप ठ
16.	खनन पट्टों का रजिस्टर	प्ररूप ड
17.	पुनरीक्षण के लिए आवेदन	प्ररूप ढ
18.	खनन पट्टे के अंतरण के लिए प्रतिमान प्ररूप	प्ररूप ण "

(ख) प्ररूप ख से पहले निम्नलिखित प्ररूप क अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप क "

चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए

-----------------------(स्थान) में

-----------------------(तारीख) को

प्राप्त हुआ

प्राप्त करने वाले अ.ाकारी

के आद्याक्षर

---------------सरकार

(अवीक्षी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन)

नियम 4 देखें)

तारीख ---------------------

सेवा में,

मार्फत :

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/ हमें खनिज रियायत नियम,1960 के अधीन अवीक्षा अनुज्ञापत्र मंजूर किया जाए ।

2.----------------- रु0 की राशि जो खनिज रियायत नियम,1960 के अनुसार 5 रु0 की दर पर प्रति वर्ग किलो मीटर या उसके भाग के लिए, इस आवेदन की बावत संदेय फीस है, निक्षिप्त कर दी गई है ।

3. अपेक्षित विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं :-

(i) आवेदक का नाम, पूरे पते सहित :

(ii) क्या आवेदक कोई प्राइवेट व्यष्टि/प्राइवेट कंपनी/लोक कंपनी/फर्म या संगम के हैं ?

(iii) यदि आवेदक :

(क) व्यष्टि हो, तो राष्ट्रिकता :

(ख) कंपनी हो,तो कंपनी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति परिवेष्टित की जाएगी :

(ग) फर्म या संगम हो,तो फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की राष्ट्रिकता

(iv) आवेदक की वृत्ति या उसके कारबार की प्रकृति ;

(v) खनन संबंधी शोध्य राशियों के संदाय के विधिमान्य समाशोधन प्रमाणपत्र का सं0 और तारीख (प्रति संलग्न) ;

(v i) यदि आवेदन की तारीख को आवेदक अवीक्षा अनुज्ञापत्र धारित नहीं करता है तो यह बताया जाना चाहिए कि क्या इस आशय का कोई शपथ पत्र राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में दिया गया है अथवा नहीं ;

(v ii) वह/वे खनिज जिसका/जिनका पूर्वेक्षण आवेदक द्वारा आशयित है ;

(v iii)वह अवधि जिसके लिए अवीक्षी अनुज्ञापत्र अपेक्षित है ;

(ix) आवेदक जिस क्षेत्र का पूर्वेक्षण करना चाहता है उस क्षेत्र का विस्तार :

(x) उस क्षेत्र के ब्यौरे जिसके बारे में अवीक्षी अनुज्ञापत्र अपेक्षित है :

जिला	तालुका	क्षेत्र

(xi) राज्य सरकार की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों की उन खनिजों के अनुसार विशिष्टियाँ :–

(क) जिनके लिए आवेदक या उसके साथ संयुक्त हित रखने वाले कोई व्यक्ति पहले ही अवीक्षी अनुज्ञापत्र धारण करता है ;

(ख)जिनके लिए आवेदक या उसके साथ संयुक्त हित रखने वाले कोई व्यक्ति आवेदन कर चुका है किन्तु वह मंजूर नहीं हुआ है ;

(ग) जिनके लिए आवेदक या उसके साथ संयुक्त हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा एक साथ आवेदन किया जा रहा है ।

(xii) यदि कोई संयुक्त हित हो तो उसकी प्रकृति :

(xiii) यदि आवेदक संकर्मो का पर्यवेक्षण करने का आशय रखता हो तो उसका अवीक्षी, पूर्वेक्षण या खनन प्रचालन का उसका पूर्व अनुभव स्पष्ट किया जाना चाहिए ; यदि वह प्रबंधक नियुक्त करना चाहता है तो ऐसे प्रबंधक का नाम, उसकी अर्हताएं उसके पूर्व अनुभव की प्रकृति और अनुभव विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए :

(xiv) आवेदक के वित्तीय साधन ;

(x v) उपर्युक्त 2 में निर्दिष्ट राशि के लिए संलग्न रसीदी खजाना चालान की विशिष्टियां ;

(x v i) आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित संकर्म, उनके वस्तुतः वार्षिक लक्ष्यों सहित ;

(x v ii) क्षेत्र के त्यजन की स्कीम ;

(xv iii) अनुमानित न्यूनतम वार्षिक व्यय (कार्य–बार क्रियाकलाप)

(xix) कोई अन्य विशिष्टियाँ या स्केच मानचित्र जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो ।

मैं/हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं और मैं/हम ऐसे कोई भी अन्य ब्यौरे देने के लिए तैयार हूँ/ हैं, जिनकी आप अपेक्षा करें ।

स्थान----------

तारीख----------

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर और पदनाम)

1" = 1 मील पैमाने का स्थल रूपरेखीय मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण, हाथीबर्खला देहरादून के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

मूल आवेदन के साथ चार प्रतियों में विस्तृत रेखांक और स्थल रूप रेखीय मानचित्र संलग्न करना होगा ।

टिप्पण: 1. यदि आवेदन, आवेदक के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो तो मुख्तारनामा संलग्न किया जाना चाहिए ।

2. आवेदन केवल एक संहत क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए ।" ;

(ग)" प्ररूप घ" के पश्चात निम्नलिखित "प्ररूप घ–1" अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"प्ररूप छ–1

(अवीक्षी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन की पावती)

(नियम 4 क देखें)

----------सरकार

तारीख.....

क्र0सं०

श्री/सर्वश्री----------का----------खनिज/खनिजों के अवीक्षी के लिए ग्राम/सरकारी वन में तालुक, जिला ----------में स्थित लगभग----------वर्ग किलोमीटर भूमि के लिए अवीक्षा अनुज्ञापत्र का अवेदन निम्नलिखित अनुलग्नकों सहित तारीख---------- को प्राप्त हुआ ।

अनुलग्नक:

स्थान----------

तारीख----------

प्राप्तकर्ता अधिकारी के

हस्ताक्षर और पदनाम:

(घ) " प्ररूप च" के पश्चात निम्नलिखित "प्ररूप च–1" अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"प्ररूप च–1"

(अवीक्षी अनुज्ञापन विलेख)

(नियम 7क देखें)

एक पक्षकार के रूप में ----------के राज्यपाल/भारत के राष्ट्रपति (जिसे इसमें इसके पश्चात राज्य सरकार कहा गया है, जिस पद के बारे में, जहां संदर्भ से ऐसा अनुज्ञेय हो, यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत उसके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती है) और दूसरे पक्षकार के रूप में,

(जब अनुज्ञापत्र धारक व्यष्टि हो)----------

(व्यक्ति का नाम, पते और वृति सहित), जिसे इसमें इसके पश्चात "अनुज्ञापत्र धारक" कहा गया है, जिस पद के बारे में जहां संदर्भ से ऐसा अनुज्ञेय हो, यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती है ।)

(जब अनुज्ञापत्र धारक एक से अधिक व्यष्टि हो)----------

(व्यक्ति का नाम, पते और वृत्ति सहित) और----------(व्यक्ति का नाम, पते और वृत्ति सहित) जिन्हें इसमें इसके पश्चात "अनुज्ञापत्र धारक" कहा गया है, जिस पद के बारे में जहां संदर्भ से ऐसा अनुज्ञेय हो, यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत उनके अपने अपने बारिस निष्पादक, प्रतिनिधि और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती है ।)

(जब अनुज्ञापत्र धारक रजिस्ट्रीकृत फर्म हो) -

----------(भागीदार का नाम और पता) जो ----------का पुत्र और----------का है और जो सब----------के फर्म नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारी में कारबार चला रहे हैं, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय----------नगर में ---------- में है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "अनुज्ञापत्र धारक" कहा गया है जिस पद के बारे में, जहां संदर्भ से ऐसा अनुज्ञेय हो, यहा समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत उक्त सभी भागीदार, उनके अपने अपने बारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती है ।)

(जब अनुज्ञापत्र धारक रजिस्ट्रीकृत कंपनी हो)----------

(कंपनी का नाम) जो----------) वह अधिनियम जिसके अधीन वह निगमित है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय----------(पता) में है (जिसे इसमें इसके पश्चात "अनुज्ञापत्र धारक" कहा गया है, जिस पद के बारे में, जहां संदर्भ से ऐसा अनुज्ञेय हो, यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत उसके उत्त्राधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती है ।)

के बीच----------के ----------के ----------के दिन यह करारनामा किया गया है ।

यम:अनुज्ञापत्र धारक/अनुज्ञापत्र धारकों ने खनिज रियायत नियम, 1960) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के अनुसार इसमें नीचे लिखी अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट और इससे उपाबद्ध रेखांक में अंकित भूमियों में) जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त भूमियां कहा गया है)----------का पूर्वेक्षण करने के अवीक्षी अनुज्ञापत्र के लिए राज्य सरकार को अवेदन किया है और राज्य सरकार के पास ऐसे अनुज्ञापत्र के बारे में नियम 7 ख के अनुसार विहित प्रतिभूति के रूप में ---------- रुपए जमा कर

दिए हैं और ऐसे अनुज्ञापत्र के बारे में ----------मास/वर्ष के लिए विहित अनुज्ञापत्र फीस के रूप में ---------- रुपए की राशि राज्य सरकार को अग्रिम संदत्त कर दी है और यतः ऐसे अनुज्ञापत्र के अनुदान पर कोई आपत्ति नहीं है) और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस अनुज्ञापत्र के अनुदान का अनुमोदन कर दिया है ।)

अतः यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :–

भाग 1

इसमें इसके पश्चात आरक्षित और अंतर्विष्ट और अनुज्ञापत्र धारक/धारकों की ओर से संदेय, अनुपालनीय और पालनीय फीस, प्रसंविदाओं और करारों के प्रतिफलस्वरूप राज्य सरकार अनुज्ञापत्र धारक/धारकों को निम्नलिखित अवीक्षी अनुज्ञापत्र का एक मात्र अधिकार अनुदत्त और पटटांतरित करती है :–

(1) भूमियों पर प्रवेश करना या उसके ऊपर उड़ान भरना और अवीक्षी सक्रियां प्रारम्भ करना :

उक्त भूमियों पर प्रवेश करने या उसके ऊपर उड़ान भरने और उक्त भूमि में पड़े या उसके भीतर, नीचे या उसमें सर्वत्र पाए जाने वाले सभी या किन्हीं----------(खनिजों का नाम) को तलाश करने के लिए अवीक्षा संक्रियाएं प्रारंभ करने का:

परन्तु यह कि:

अनुज्ञापत्र धारक यथास्थिति वन विभाग या निजी भूमि के अधिभोगी के अनुज्ञा अभिप्राप्त के बिना किसी वन भूमि या निजी भूमि पर प्रवेश नहीं करेगा :

अनुज्ञापत्र धारक जबतक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय और भारत सरकार के सिविल विमानन के महानिदेशक से आकाशीय सर्वेक्षण प्रारंभ करने के लिए सभी आवश्यक निर्बंधन अभिप्राप्त न कर ले तब तक उक्त भूमि के ऊपर उड़ान नहीं भरेगा ।

(2) झाड़ झंझाड़ और वनी झाड़ियों आदि पर जल का उपयोग करना तथा साफ करना :

खंड(1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रयोजनों के लिए जो अवीक्षी संक्रियाओं को प्रभावी रूप से चलाने के लिए और उसमें नियोजित कर्मकारों के लिए आवश्यक हों उक्त भूमि पर नालियों या जल सरणियां और उनका उपयोग करने और जल का उपयोग करने के लिए, परन्तु ऐसे उपयोग से उस जल प्रदाय में कमी या बाधा नहीं आएगी जो किसी भी कृष्ट भूमि, ग्राम, भवन या पशुओं के पानी पीने का स्थान हो इससे पूर्व प्राप्त होता रहा हो और यह कि ऐसे किसी भी उपयोग या अनुज्ञापत्र अवीक्षा संक्रियाओं द्वारा कोई सरिता, झरना या कुआं कलुषित या प्रदूषित नहीं होगा ।

(3) मशीनरी आदि लाना :–

उक्त भूमियों पर ऐसी मशीनरी, उपस्कर और सुविधाएं लाना जो अनुज्ञात अवीक्षा संक्रियाओं को प्रभावी रूप से चलाने या उस पर नियोजित कर्मकारों के लिए उचित और आवश्यक हों ।

ऐसा होने पर भी राज्य सरकार के पास ऐसे सभी या किसी प्रयोजन के लिए उन प्रयोजनों से भिन्न है जिनके लिए एक मात्र अधिकार और अनुज्ञापत्र अभिव्यक्त रूप से प्रदान किया गया है सभी समयों पर ऐसी भूमियों में और पर प्रवेश करने की पूर्व शक्ति और स्वतंत्रता आरक्षित होगी ।

उक्त अधिकार और अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र धारकों को, इस बिलेख की तारीख से,---------- अवधि (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है) के लिए धारण करने के लिए अनुदत्त करती है । उसके लिए ----------रुपए की राशि का जो अनुसूची ख में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए अनुज्ञापत्र फीस है, और उक्त अवधि के अवसान या पूर्वतर पर्यवसान के ठीक पश्चात उक्त अवधियों के दौरान अनुज्ञापत्र धारक/धारकों द्वारा सभी फीसों, दरों, करों, प्रभारों और कटौतियों से मुक्त, वार्षिक रूप से संदाय किया जाएगा ।

भाग 2

अनुज्ञापत्र धारक द्वारा प्रसंविदाएं

अनुज्ञापत्र धारक राज्य सरकार के साथ निम्नानुसार प्रसंबिदा/प्रसंबिदाएं करता है/करते हैं :-

अनुज्ञापत्र फीस का संदाय

(1) कि वह /वे आगामी वर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए ऐसी दरों और ऐसे समय पर जो अनुसूची ख में विनिर्दिष्ट हैं, प्रतिवर्ष अनुज्ञापत्र फीस का अग्रिम संदाय करेगा/करेंगे ।

कार्य को कुशलता से करना

(2) कि वह/वे इस प्रकार अनुज्ञात सक्रियाएं उचित रूप से, व्यवस्थित ढंग से, निपुणता से तथा कुशलता से और भूमि की सतह की और उस पर स्थित वृक्षों, फसलों, भवन संरचनाओं और अन्य संपत्ति को यथाशक्य कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए करेगा / करेंगे और चलाएगा /चालएंगे ।

शुद्ध लेखाओं का रखा जाना

(3) अनुज्ञापत्र धारक उसके/उनके द्वारा अवीक्षी पर उपगत किए गए सभी व्ययों का और ऐसी संक्रियाओं के दौरान अभिप्राप्त सभी नमूनों की मात्रा और अन्य विशिष्टियों का और उनके प्रेषण का भी शुद्ध और ठीक ठीक लेखा रेखगा/रखेंगे ।

पूर्व अनुज्ञा के बिना वृक्षों का न तो काटा जाना और न ही उन्हें क्षति पहुंचाना न ही सार्वजनिक स्थानों में विक्षोभ उत्पन्न करना ।

(4) किसी ऐसी भूमि पर, जो अधिभोगाधीन है या अनारक्षित है, उपायुक्त/कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी काष्ठ या वृक्ष न तो काटेगा और न उसे क्षति पहुंचाएगा, न ही ऐसी अनुज्ञा के बिना किसी भी सड़क की सतह को बिगाड़ेगा या किसी भी सार्वजनिक आमोद स्थल, श्मशान भूमि या कब्रिस्तान या किसी भी व्यक्ति वर्ग द्वारा पवित्र माने जाने वाले किसी भी स्थान पर प्रवेश नहीं करेगा या मार्ग, कुएं या तालाब के किसी भी अधिकार में हस्तक्षेप करेगा ।

(5) किसी व्यक्तिके अधिभोगाधीन किसी भूमि पर अधिभोगी की सम्मति के बिना प्रवेश नहीं करेगा/करेंगे और न किसी भूमि के अधिभोगी के या किसी अन्य व्यक्ति के किन्हीं वृक्षों, खड़ी फसलों, भवनों, झोपड़ियों, संरचनाओं या किसी प्रकार की अन्य संपत्ति को, ऐसे स्वामी, अधिभोगी या व्यक्ति की लिखित सम्मति के बिना काटेगा/काटेंगे या किसी भी प्रकार से उन्हें क्षति पहुंचाएगा/पहुंचाएंगे ।

वन भूमि में पूर्व अनुज्ञा के बिना कार्य प्रारंभ न करना

(6) किन्हीं वन भूमियों में, राज्य सरकार द्वारा इस बाबत इस प्रकार प्राधिकृत वन अधिकारी से लिखित मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना,न प्रवेश करेगा/करेंगे अथवा अवीक्षी या पूर्वेक्षण आरंभ करेगा/करेंगे ।

सभी दावों के प्रति सरकार की क्षति पूर्ति करना

(7) ऐसे सभी नुकसान,क्षति या विघ्न के लिए, जो इस अनुज्ञापत्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसके/उनके द्वारा किया जाए, युक्तियुक्त तुष्टि करेगा/करेंगे और ऐसे प्रतिकार का संदाय करेगा/करेंगे जो विषय पर प्रवृत्त विधि के अनुसार विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए और ऐसे सभी दावों के प्रति, जो किसी ऐसे नुकसान,क्षति या विघ्न के संबंध में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किए जाएं और उनसे जुड़े खर्चों और व्ययों की क्षतिपूर्ति करेगा/करेंगे और राज्य सरकार को संपूर्णतः और पूरी तौर से क्षतिपूर्ति रखेगा/रखेंगे ।

अन्य अधिनियमों और नियमों का पालन करना

(8 क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा/करेंगे ।

(8 ख) खान अधिनियम,1952 के उपबंधों का अनुपालन करेगा/करेंगे ।

(8 ग) अपने खर्चे पर पर्यावरण के संरक्षण के ऐसे उपाय करेगा/करेंगे,जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएँ ।

(8 घ) भूमि की सतह के अधिभोगी को इन नियमों में अधिकथित तारीख और रीति में प्रतिकर का संदाय करेगा ।

प्रतिभूति,निक्षेपों आदि का समपहरण

(9) जब कभी----------रुपए की प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग या उसकी संपूर्ति में राज्य सरकार के पास निक्षिप्त कोई अतिरिक्त राशि,इसमें इसके पश्चात उस निमित्त घोषित शक्ति के अनुसार राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यहृत या उपयोजित कर ली जाए तब अनुज्ञापत्र धारक तत्काल राज्य सरकार के पास ऐसी अतिरिक्त राशि निक्षिप्त करेगा/करेंगे, जो उसके अधिनियोजित भाग क्षति,राज्य सरकार के पास निक्षिप्त रकम को----------रुपए का राशि तक लाने के लिए पर्याप्त हो ।

अनुज्ञापत्र धारक का न्यास, सिंडिकेट आदि द्वारा नियंत्रित न होना

(10)अनुज्ञापत्र धारक राज्य सरकार की लिखित सम्मत्ति के बिना,जो कि ऐसे मामलों में जहां निष्पादित अवीक्षी अनुज्ञापत्र अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित खनिजों के बारे में हो, केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात ही दी जाएगी, किसी न्यास,सिंडिकेट निगम,फर्म या व्यक्ति द्वारा न तो नियंत्रित होगा/होंगे और न स्वयं को नियंत्रित होने देगा/देंगे ।

दुर्घटना की रिपोर्ट

(11) अनुज्ञापत्र धारक किसी ऐसी दुर्घटना की रिपोर्ट जो इस अनुज्ञापत्र के अधीन संक्रियाओं के दौरान हो और जिससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति को गंभीर क्षति हो या जिससे जीवन या संपत्ति पर गंभीर प्रभाव पड़े या जीवन या संपत्ति खतरे में पड़ जाए, बिना विलम्ब किए उपायुक्त /कलेकटर को भेजेगा/भेजेंगे ।

अधिनियम की धारा 18

(12) अनुज्ञापत्र धारक ऐसे नियमों द्वारा आबद्ध होगा/होंगे जो अधिनियम की धारा 18 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएं और वह/वे उक्त अनुज्ञापत्र के अधीन अवीक्षी, पूर्वेक्षण या अन्य संक्रियाओं को नियमों के अधीन यथाविहित प्रकार से भिन्न किसी भी प्रकार से नहीं करेगा/करेंगे ।

बोर, छिद्र बंद करना, बाड़ लंगाना आदि और भूमि की सतह को पूर्व अवस्था में लाना

(13) ऐसी भूमि की दशा के सिवाय, जिस पर अनुज्ञापत्रधारक को, अनुज्ञापत्र के अवसान पर या उससे पूर्व या शीघ्रतर पर्यवसान पर कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र या खनन पट्टा अनुदत्त किया जाए, वह/वे अनुज्ञापत्र के अवसान या शीघ्रतर पर्यवसान या उपक्रम के परित्याग की तारीख के, जो भी पहले आए, पश्चात् छह मास के भीतर किसी भी बोर छिद्र का सुरक्षित रूप से बंद करेगा/करेंगे और ऐसे किन्हीं छिद्रों या उत्खननों को, जो भूमियों में किए गए हों, उस विस्तार तक, जितना उपयुक्त/क्लेक्टर द्वारा अपेक्षित हो, भर देगा/देंगे या बाड़ लगा देगा/देंगे और उतने ही विस्तार तक भूमि की सतह को और उस पर स्थित सभी निर्माणों को, जिन्हें पूर्वेक्षण के दौरान नुकसान पहुंचा हो या जो पूर्वेक्षण के दौरान नष्ट हुए हो, पूर्व अवस्था में ला देगा/देंगे, परन्तु अनुज्ञापत्रधारक से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि भूमि की सतह या किन्हीं भी ऐसे निर्माणों को, जिनके बारे में पूर्ण और उचित प्रतिकार का संदाय किया जा चुका हो, पूर्व अवस्था में लाए/लाएं ।

अवसान, पर्यवसान या परित्याग के पश्चात् मशीनरी आदि का हटाया जाना

(14) इस अनुज्ञापत्र के अवसान या शीघ्रतर पर्यवसान पर या अनुज्ञात संक्रियाओं के परित्याग पर, जो भी पहले हो उसके होने पर अनुज्ञापत्र धारक अपने खर्चे पर ऐसे सभी संयंत्रों, इंजनों, मशीनरी, उपकरणों, पात्रों और अन्य संपत्ति तथा चीजबस्त की जो अनुज्ञापत्र धारक द्वारा परिनिर्मित की गई हों या लाई गई हो और जो उस समय उक्त भूमियों पर स्थित या मौजूदा हों, शीघ्रतर से हटा लेगा/लेंगे, परन्तु यह प्रसंविदा उक्त भूमियों के किसी ऐसे भाग को लागू नहीं होगी जो इस अनुज्ञापत्र के अस्तित्व में रहने के दौरान अनुज्ञापत्र धारक को अनुदत्त किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे में समाविष्ट हो ।

प्रतिभूति निक्षेप के प्रतिदाय के पूर्व किए गए कार्य की रिपोर्ट

(15) उक्त प्रतिभूति निक्षेप उसे/उन्हें लौटाए जाने या किसी अन्य खाते में अन्तरित किए जाने के पूर्व या अनुज्ञापत्र के अवसान या शीघ्रतर पर्यवसान के या सक्रियाओं के परित्याग के, जो भी पूर्वतर हो, पश्चात एक मास के भीतर अनुज्ञापत्र धारक राज्य सरकार को उसके/उनके द्वारा किए गए कार्य की एक पूर्ण रिपोर्ट गोपनीय रूप से प्रस्तुत करेगा/करेंगे और इस अनुज्ञापत्र के अधीन संक्रियाएं करने के दौरान उसके/उनके द्वारा अनुज्ञापत्र के अधीन आने वाले क्षेत्र के भूवैज्ञानिक स्वरूप और खनिज साधनों के संबंध में अर्जित सभी जानकारी प्रकट करेगा/करेंगे ।

अनुज्ञापत्र धारक द्वारा अभिप्राप्त जानकारी की रिपोर्ट

(16) (1) अनुज्ञापत्र धारक राज्य सरकार को

(क) उसके /उनके द्वारा किए गए कार्य की छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा/करेंगे जिसमें अवधि के दौरान लगाए गए व्यक्तियों की संख्या और उसके/उनके द्वारा संग्रहित भूवैज्ञानिक, भू–भौतिकीय या अन्य मूल्यवान आंकड़ों का कथन होगा । रिपोर्ट ऐसी अवधि की, जिससे वह संबंधित है , समाप्ति से तीन माह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी

(ख) अनुज्ञापत्र के अवसान या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञापत्र के पर्यवसान के, जो भी पूर्वोत्तर हो, तीन मास के भीतर उसके/उनके द्वारा किए गए कार्य की संपूर्ण रिपोर्ट और अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की अवीक्षी के दौरान उसके/उनके द्वारा अर्जित खनिज संसाधनों से सुसंगत सभी जानकारी देगा/देंगे :

(2) खंड (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, अनुज्ञापत्र धारक यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा/सकेंगे कि उसके द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण रिपोर्ट अथवा उसका कोई भाग या आंकड़े गोपनीय रखे जाएंगे और राज्य सरकार जब, विनिर्दिष्ट भागों को अनुज्ञापत्र के अवसान या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञापत्र के पर्यवसान से, इनमें से जो भी पहले हो, दो वर्ष की अवधि तक गोपनीय रखेंगी ।

विदेशी राष्ट्रकों का नियोजन

(17) अनुज्ञापत्र धारक अवीक्षी संक्रिया के संबंध में, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है नियोजित नहीं करेगा/करेंगे ।

भूभौतिकीय आंकड़े देना

(18) अनुज्ञापत्र धारक:

(क)अवीक्षा के दौरान उसके/उनके द्वारा संग्रहित पूर्वेक्षण या इंजीनियरी और भूपृष्ठीय जल राशि सर्वेक्षण संबंधी सभी भूभौतिकीय आंकड़े जैसे कि असंगति मानचित्र, खंडचित्र, रेखांक संरचनाएं, समोच्य रेखी मानचित्र लागिंग, भारतीय महानिदेशक भू–विज्ञान सर्वेक्षण कलकत्ता को देगा/देगें ।

(ख) संक्रियाओं के दौरान उसके/उनके द्वारा संग्रहित रेडियो धर्मी खनिजों के अन्वेषण विषयक समस्त जानकारी सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, नई दिल्ली को देगा/देंगे ।

ऊपर निर्दिष्ट आंकड़े या जानकारी प्रतिवर्ष दी जाएगी, जिसकी गणना अवीक्षी अनुज्ञापत्र की अवधि के प्रारंभ की तारीख से की जाएगी ।

भाग 3 सरकार की शक्तियां

निम्न प्रकार करार किया जाता है कि :–

शर्तों के उल्लंघन की दशा में अनुज्ञापत्र का रद्द किया जाना और निक्षेप का समपहरण

(1) अनुज्ञापत्र धारक या उसके/उनके अंतरीति या समनुदेशिती द्वारा अनुज्ञापत्र की किसी शर्त के उल्लंघन की दशा में, राज्य सरकार अनुज्ञापत्र धारक को उसके/उनके मामले का कथन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगी और जहां उसका यह समाधान हो जाए कि उल्लंघन ऐसा है कि उसका उपचार नहीं किया जा सकता वहां वह अनुज्ञापत्रधारक या उसके/उनके अंतरीतियों या समनुदेशितियों को तीस दिन की सूचना देकर अनुज्ञापत्र का पर्यवसान कर देगी और / या उस निमित्त प्रसंविदाओं के अधीन निक्षिप्त----------रु0 का उक्त संपूर्ण निक्षेप को या उसके किसी भाग को जैसा भी राज्य सरकार उचित समझे समपहृत कर लेगी । यदि राज्य सरकार यह समझे कि उल्लंघन ऐसा है कि उसका उपचार हो सकता है तो वह, यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारक या उसके/उनके अंतरीति या समनुदेशिति को सूचना देगी, जिसमें उससे/उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह /वे सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर उल्लंघन का उपचार करे/करें और उसे/उन्हें यह इत्तिला दी जाएगी कि यदि ऐसा उपचार ऐसी अवधि के भीतर न किया गया तो क्या प्रस्थापित शास्ति अधिरोपित की जाए ।

प्रतिभूति का प्रतिकर के संदाय में उपयोजन

(2) राज्य सरकार समय समय पर ----------रु0 का उक्त निक्षेप या उसका कोई भाग, या उस निमित्त इससे पूर्व अन्तर्विष्टि किन्हीं प्रसंविदाओं के अधीन निक्षिप्त कोई और राशि, प्रतिकार के ऐसे किन्हीं भी दावों के संदाय या तुष्टि के लिए जो अनुज्ञापत्र धारक/ धारकों पर राज्य सरकार के हों या हो सकते हों और या जो इस अनुज्ञापत्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करते हुए अनुज्ञापत्र धारक/धारकों द्वारा किए गए किसी भी नुकसान या क्षति के बारे में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अनुज्ञापत्र धारक/धारकों और/या राज्य सरकार के विरूद्ध किए जा सकते हों और किसी ऐसे नुकसान, खर्च या व्यय के संदाय में या के प्रति जो ऐसे किन्हीं वादों या कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप या के संबंध में, जो ऐसे किसी नुकसान या क्षति के बारे में राज्य सरकार के विरूद्ध संस्थित की जाएं, संदेय हो और ऐसे किन्हीं भी संक्रमों या बातों के कार्यान्वयन या पालन के व्ययों के संदाय में या के प्रति जिनका कार्यान्वयन या पालन अनुज्ञापत्र धारक इस अनुज्ञापत्र के अवसान या शीघ्रतर पर्यवसान के पश्चात या अनुज्ञातसंक्रियाओं के परित्याग के पश्चात उस निमित्त इससे पूर्व अंतर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार न करे/करें या ऐसे किसी भी दावों, नुकसानों, खर्चों और व्ययों के संदाय में विनियोजित कर सकेगी और लगा सकेगी ।

जब संपत्तियां भूमि पर से समय पर न हटाई जाएं

(3) यदि कोई संयंत्र, इंजन, मशीनरी, उपस्कर, पात्र या अन्य संपत्ति या चीजबस्त, जिन्हें इस निमित्त अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार अनुज्ञापत्र धारक द्वारा उक्त भूमि से हटा लिया जाना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञापत्र धारक/धारकों को उन्हें हटाने की अपेक्षा करने वाली लिखित सूचना दे दिए जाने के पश्चात् एक कैलेण्डर मास के भीतर न हटाएं जायें तो यह समझा जाएगा कि वह राज्य सरकार की संपत्ति हो गए हैं और वे राज्य सरकार के फायदे के लिए ऐसी रीति में, जिसे राज्य सरकार उचित समझे, अनुज्ञापत्र धारक/धारकों को किसी भी प्रतिकार का संदाय करने या उसके बारे में कोई लेखा देने के दायित्व के बिना बेचे या व्ययनित किए जा सकेंगे ।

अनुज्ञापत्र धारक उसकी/उनकी ओर से किए गए कार्य के लिए संदाय करेगा/करेंगे ।

(4) यदि किसी ऐसे संकर्म या बातों जिनका इस निमित्त इससे पूर्व अंतर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार, अनुज्ञापत्र धारक द्वारा कार्यान्वयन या पालन किया जाना है, उस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस प्रकार कार्यान्वयन या पालन न किया जाए तो राज्य सरकार उनका कार्यान्वयन या पालन करा सकेगी और अनुज्ञापत्र धारक राज्य सरकार को उनके इस प्रकार कार्यान्वयन या पालन में उपगत सभी व्यय मांग किए जाने पर संदत्त करेगा/करेंगे ।

अग्रक्रयाधिकार

(5) युद्ध या आपात की स्थिति के विद्यमान होने की दशा में (जिसका एकमात्र निर्णायक भारत का राष्ट्रपति होगा और भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस प्रभाव की अधिसूचना जिसकी निश्चायक सबूत होगी) केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति से राज्य सरकार को उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर और सभी समयों पर, यह अधिकार होगा (जिसका प्रयोग अनुज्ञापत्र धारक/धारकों को लिखित सूचना देकर किया जाएगा) कि वह अनुज्ञापत्र धारक/धारकों की उक्त भूमियों पर स्थित या उससे संबंधित संकर्मों, संयंत्र, मशीनरी और परिसर को या इस अनुज्ञापत्र के अधीन संक्रियाओं को तत्काल कब्जे और नियंत्रण में ले ले और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान अनुज्ञापत्र धारक ऐसे संकर्म, संयंत्र, परिसर और खनिजों के उपयोग या नियोजन के संबंध में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिए गए सभी निदेशों के अनुरूप कार्य करेगा/करेंगे और उनका पालन करेगा/करेंगे, परन्तु अनुज्ञापत्र धारक/धारकों को, इस खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण या परिणामस्वरूप उसे/उन्हें हुए सभी नुकसान या हानि के लिए उचित प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जोकि करार के अभाव में राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा परन्तु यह और कि ऐसे शक्तियों के प्रयोग से, मंजूर की गई उक्त अवधि का पर्यवसान नहीं होगा या उसका इन विलेखों के निबंधनों तथा उपबंधों पर उतने से अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना इस खण्ड के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो ।

भाग 4

अनुज्ञापत्र धारक/धारकों के अधिकार

आगे निम्न प्रकार करार किया जाता है :-

अनुज्ञापत्र का अन्तरण और संदेय फीस

(1) इस अनुज्ञापत्र के अस्तित्व में रहने के दौरान, अनुज्ञापत्र धारक, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, अपनी अनुज्ञापत्र या उसमें कोई अधिकार, हक या हित, उस व्यक्ति को, जिसने यह कथित करते हुए शपथ पत्र फाइल किया है कि उसने अद्यतन आय-कर विवरणियों फाइल कर दी है उस पर निर्धारित आय-कर का संदाय कर दिया है और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में उपबंधित रूप में स्वतः निधारण के आधार पर आय कर का संदाय कर दिया है पांच सौ रुपए की फीस का संदाय करने के पश्चात् अन्तरित कर सकेगा/कर सकेंगे :

परन्तु राज्य सरकार अपनी मंजूरी तब ही देगी, जब -

(1) अनुज्ञापत्र धारक/धारकों ने अवीक्षी अनुज्ञापत्र के अन्तरण के लिए अपने आवेदन के साथ एक शपथ पत्र दे दिया हो जिसमें वह रकम विनिर्दिष्ट की गई हो जो वह अन्तरिती से प्रतिफलस्वरूप पहले ही ले चुका है या लेने की प्रस्थापना करता है ;

(11) अवीक्षी अनुज्ञापत्र का अन्तरण ऐसे व्यक्ति या निकाय को किया जाना है जो अवीक्षी अनुज्ञापत्र का उपक्रम स्वयं ही करेगा ।

खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञापत्र धारक/धारकों का अधिमानी अधिकार :

(3) अनुज्ञापत्र के अवसान पर या उसकेपूर्व अनुज्ञापत्र धारक/धारकों को किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा, उक्त सम्पूर्ण, भूमि या उसके किसी भाग पर खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने का अधिमानी अधिकार होगा परन्तु यह तब जबकि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि अनुज्ञापत्र धारक/धारकों के अवीक्षी अनुज्ञापत्र के निबंधनों और शर्तों का कोई भंग नहीं किया है और खनिज संसाधनों की स्थापना करने के लिए अवीक्षी संक्रियाएं की गई हैं और वह/वे खनन पट्टे या अवीक्षी अनुज्ञापत्र के अनुदान के लिए अन्यथा उपयुक्त व्यक्ति है/हैं ।

निक्षेप का प्रतिदाय :

(4) इस अनुज्ञापत्र के अवसान के पश्चात् छह कलैंडर मास के भीतर ऐसी तारीख को, जिसे राज्य सरकार अनुज्ञापत्र धारक/धारकों द्वारा खनिज रियायत नियम, 1960 के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् चुने, राज्य सरकार के पास निक्षेप में तत्समय शेष और विलेख के भाग 3 में उल्लिखित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोजन के लिए अपेक्षित न होने वाली रकम अनुज्ञापत्र धारक/धारकों को वापस कर दी जाएगी या यदि अनुज्ञापत्र धारक/धारकों ने उक्त भूमियों या उनके किसी भाग पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अभिप्राप्त कर लिया हो तो वह रकम ऐसी अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन संदेय होने वाली फीस, भाटकों और स्वामित्वों के लेखें अनुज्ञापत्र धारक/धारकों के जमा खाते में रोक रखी जाएगी । इस रकम पर किसी भी दशा में कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा ।

भाग 5

साधारण उपबन्ध

अन्त में निम्न प्रकार यह करार किया जाता है :–

भूमि का अर्जन और प्रतिकर

(1) यदि किसी ऐसे नुकसान के लिए, जिसके अनुज्ञापत्र धारक/धारकों की प्रस्थापित संक्रिया से उद्भूत होने की संभावना हो, प्रतिकर की कोई प्रस्थापना प्राप्त होने के पश्चात् उक्त भूमियों के किसी भी भाग की सतह का अधिभोगी राज्य सरकार को आरक्षित और अनुज्ञापत्र द्वारा अनुदत्त अधिकारों और शक्तियों के प्रयोग के लिए अपनी सम्मति देने से इंकार कर देगा, तो अनुज्ञापत्र धारक राज्य सरकार को इस बात की रिपोर्ट देगा/देंगे और प्रतिकर के रूप में प्रस्थापित रकम उसके पास निक्षिप्त कर देगा/देंगे और यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि प्रतिकर की रकम युक्तियुक्त है या यदि उसका ऐसा समाधान न हो और अनुज्ञापत्र धारक ऐसी अतिरिक्त रकम निक्षिप्त कर दे/दें, जोकि राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे, तो राज्य सरकार अधिभोगी को आदेश देगी कि वह अनुज्ञापत्र धारक/धारकों को उक्त भूमि पर प्रवेश करने और ऐसी संक्रियाएं करने दे जो अनुज्ञापत्र के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो । ऐसे प्रतिकर की रकम का निर्धारण करने में राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित होगी ।

अपरिहार्य घटना के कारण अनुज्ञापत्र के निबंधनों की पूर्ति में विलम्ब :

(2) अनुज्ञापत्र धारक/धारकों की ओर से इस अनुज्ञापत्र के किसी निबंधन और शर्त की पूर्ति में असफलता होने पर राज्य सरकार को उसके/उनके विरूद्ध कोई दावा प्राप्त नहीं होगा और जहां तक ऐसी असफलता राज्य सरकार द्वारा अपरिहार्य घटना से उद्भूत समझी जाए, वह अनुज्ञापत्र का भंग नहीं समझी जाएगी ।

यदि इस अनुज्ञापत्र के किसी निबंधन और शर्त की अनुज्ञापत्र धारक/धारकों द्वारा पूर्ति अपरिहार्य घटना से विलंबित हो तो ऐसे विलम्ब की अवधि इस अनुज्ञापत्र द्वारा नियत अवधि में जोड़ दी जाएगी ।

अपरिहार्य घटना पद से देवकृत, युद्ध विद्रोह, बल्वा, सिविल संक्षोभ, हड़ताल, ज्वार, बोला तरंग, तूफान, बाढ़, तड़ित, विस्फोट, अग्नि, भूकम्प और कोई अन्य ऐसी घटना अभिप्रेत है जिसे अनुज्ञापत्र धारक युक्तियुक्त रूप से रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता था/सकते थे ।

सूचना की तामील :

(3) अनुज्ञापत्र धारक/धारकों को दी जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसे अनुज्ञापत्र धारक ऐसी सूचनाओं की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे/करें या यदि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है तो सूचना अनुज्ञापत्र धारक/धारकों को, अनुज्ञापत्र के लिए उसके/उनके द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में दर्शित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पतों पर जो उसके/उनके द्वारा समय-समय पर अभिहित किए जाएं, उसे/उन्हें संबोधित करके रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी और ऐसी प्रत्येक तामील अनुज्ञापत्र धारक/धारकों पर उचित और विधि मान्य तामील समझी जाएगी और उस पर उसके/उनके द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा या आक्षेप नहीं किया जाएगा ।

नए खनिजों का पता चलना :

(4) अनुज्ञापत्र धारक अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी भी खनिज का पता चलने की रिपोर्ट ऐसे पता चलने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को देगा ।

प्रतिकर देने के दायित्व से राज्य सरकार की उन्मुक्ति

(5) यदि खनिज रियायत नियम, 1960 के अध्याय 7 के अधीन कार्यवाही के अनुसरण में राज्य सरकार के आदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनर्विलोकित पुनरीक्षित या रद्द कर दिया जाए तो अनुज्ञापत्र धारक इस विलेख द्वारा उसे/उन्हें प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग में अनुज्ञापत्र धारक/धारकों द्वारा उठाई गई किसी भी हानि के लिए प्रतिकर का/के हकदार नहीं होगा/होंगे ।

(6) यह अनुज्ञापत्र विलेख, ----------(राज्य का नाम) राज्य राजधानी में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबंधों के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाता है तथा अनुज्ञापत्र धारक/धारकों और राज्य सरकार द्वारा यह करार पाया जाता है कि अवीक्षी अनुज्ञापत्र अधीन क्षेत्र, अनुज्ञापत्र विलेख की शर्तों के संबंध में और अनुज्ञापत्र धारक/धारकों तथा राज्य सरकार के संबंध की बाबत् सभी विषयों के संबंध में किसी विवाद की दशा में वाद या पिटीशन (----------) (नगर का नाम) के सिविल न्यायालयों में फाइल किए जाएंगे तथा यह स्पष्ट रूप से करार किया जाता है कि कोई भी पक्षकार ऊपर नामित न्यायालयों से भिन्न किसी स्थान पर कोई वाद या अपील फाईल नहीं करेगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा । इसके साक्ष्य स्वरूप ऊपर प्रथम वर्णित दिन और वर्ष को यह विलेख इसमें नीचे दी गई रीति से निष्पादित किया गया है ।

अनुसूची क

अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि

(यहां क्षेत्रफल, सीमाओं, जिले, उपखण्ड, थाना आदि के नाम और भूकर सर्वेक्षण संख्यांक, यदि कोई हो, सहित भूमियों का वर्णन अन्त स्थापित कीजिए । यदि मानचित्र संलग्न किया गया हो तो अन्तःस्थापित किए जाने वाले वर्णन में मानचित्र का निर्देश कीजिए) ।

अनुसूची ख

(नियम 7 (1) (×) के अधीन)

(यहां अनुज्ञापत्र फीस की रकम और संदाय की रीति और समय विनिर्दिष्ट कीजिए)

(ड.) "प्ररूप छ" के पश्चात् "प्ररूप छ–1" अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"प्ररूप छ–1"

अवीक्षी अनुज्ञापत्रों के आवेदन पत्रों का रजिस्टर

(नियम 7 घ (1) देखिए)

1. क्रम संख्यांक
2. अवीक्षी अनुज्ञापत्र के आवेदन पत्र की तारीख ।
3. वह तारीख जिस तारीख को आवेदन पत्र उसे प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया ।
4. आवेदक का नाम और पूरा पता ।
5. आवेदित भूमि की स्थिति और सीमाएं ।

6. भूमि का प्राक्कलित क्षेत्रफल ।

7. आवेदक जिन खनिजों का पूर्वेक्षण करना चाहता है, उनकी विशिष्टियां ।

8. संदत्त आवेदन फीस ।

9. टिप्पणियां ।

10. आवेदन का अंतिम निपटारा तथा आदेश का संख्यांक और उसकी तारीख ।

11. अधिकारी के हस्ताक्षर । ";

(च) " प्ररूप ज " के पश्चात् निम्नलिखित " प्ररूप ज–1 " अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

" प्ररूप ज–1 "

(अवीक्षी अनुज्ञापत्रों का रजिस्टर"

(नियम 7घ (2) देखिए)

1. क्रम संख्यांक

2. अनुज्ञापत्र धारक का नाम

3. अनुज्ञापत्र धारक का निवास स्थान और पूरा पता ।

4. आवेदन की तारीख ।

5. वह तारीख जिस तारीख को आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया ।

6. भूमि की स्थिति और सीमाएं ।

7. अनुज्ञापत्र धारक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर राज्य में उस क्षेत्र और खनिजों के ब्यौरे जिनके लिए आवेदक, अवीक्षी अनुज्ञापत्र रखता है ।

8. कुल क्षेत्रफल जिसके लिए अनुज्ञापत्र अनुदत्त किया गया ।

9. (क) अनुज्ञापत्र का संख्यांक और उसके अनुदान की तारीख ।

(ख) अवीक्षी अनुज्ञापत्र का करार निष्पादित करने की तारीख ।

10. वह या वे खनिज जिसके/जिनके लिए अवीक्षी अनुज्ञापत्र दिया गया है ।

11. वह अवधि जिसके लिए अनुदत्त की गई ।

12. संदत्त आवेदन फीस ।

13. संदत्त अनुज्ञापत्र फीस ।

14. प्रतिभूति निक्षेप की रकम ।

15. प्रतिभूति निक्षेप के व्ययन या प्रतिदाय की विशिष्टियां ।

16. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा (यदि कोई हो) के आवेदन की तारीख ।

17. अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुदान के अवसान या त्याग या रद्दकरण की तारीख ।

18. अवीक्षी अनुज्ञापत्र के समनुदेशन या अन्तरण की, यदि कोई हो, तारीख समनुदर्शिती या अन्तरीति का नाम और पता ।

19. वह तारीख/तारीखें जिससे/जिनसे क्षेत्र पुनः अनुदान के लिए उपलभ्य है ।

20. टिप्पणियां ।

21. अधिकारी के हस्ताक्षर ।" ;

(छ) प्ररूप ट के भाग IX में, –

(क) खंड 5 में, " अपने फायदे के लिए सभी या किन्हीं " शब्दों के पश्चात्, " पट्टे के चालू रहने के दौरान उत्खनित अयस्क खनिज " शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड 6 में, " उक्त भूमि में या पर कोई " शब्दों के पश्चात् " अयस्क या खनिज " शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 7/3/99-एम-VI]
एस.पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट: दिनांक 26.11.1960 की जी.एस.आर. सं0 1398 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र में मुख्य नियम प्रकाशित किए गए (अधिसूचना सं0 एम–।।–159(1)/57, दिनांक 11.11.1960)

इन नियमों में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किए गए :–

1. जी.एस.आर. सं0 1459 दिनांक 10.12.1960 (अधिसूचना सं0 एम–।।–159(1)57 दिनांक 1.12.1960)

2.जी.एस.आर.सं0 880 दिनांक (अधिसूचना सं0 एम–।।–152(13)61 दिनांक 30.6.1961.

3.जी.एस.आर.सं0 1133 दिनांक 16.9.1961(अधिसूचना सं0 एम–।।–169(44)61 दिनांक 7.9.1961

4.जी.एस.आर.सं0 दिनांक (अधिसूचना सं0 एम–।।–164(12)61 दिनांक 16.10.1961

5.जी.एस.आर.सं0 1446 दिनांक 9.12.1961 (अधिसूचना सं0 एम–।।–159(18)54 दिनांक 2.12.1961

6.जी.एस.आर.सं0 166 दिनांक 10.2.1962 (अधिसूचना सं0 एम 5–3(1)61 दिनांक 1.2.1962

7.जी.एस.आर.सं0 718 दिनांक 26.5.1962 (अधिसूचना सं0 एम–।।–152(33)52 दिनांक 16.5.1962

8.जी.एस.आर.सं0 1051 दिनांक 4.8.1962 (अधिसूचना सं0 एम–।।-152(26)59 दिनांक 1.6.1962

9.जी.एस.आर.सं0 1076 दिनांक 11.8.1962 (अधिसूचना सं0 एम-5–3(1)61 दिनांक 6.8.1962

10.जी.एस.आर.सं0 1707 दिनांक 15.12.1962 अधिसूचना सं0 एम–।।–152(18)61 दिनांक 4.12.1962

11.जी.एस.आर.सं0 104 दिनांक 19.1.1963 अधिसूचना सं0 एम–।।–152(46)62 दिनांक 5.1.1963

12.जी.एस.आर.सं0 805 दिनांक 11.5.1963 (अधिसूचना सं0 एम–।।–152(58)61 दिनांक 30.4.1963

13.जी.एस.आर.सं0 842 दिनांक 18.5.1963(अधिसूचना सं0 एम–।।–152(11)62 दिनांक 6.5.1963

14.जी.एस.आर.सं0 843 दिनांक 18.5.1963 (अधिसूचना सं0 एम–।।–169(44)61 दिनांक 6.5.1963

15.जी.एस.आर.सं0 845 दिनांक ..... (अधिसूचना सं0 एम–।।–169(44)61 दिनांक 6.9.1963

16.जी.एस.आर.सं0 1243 दिनांक 27.7.1963(अधिसूचना सं0 एम–।।–1(22)63 दिनांक 18.7.1963

17.जी.एस.आर.सं0 1214 दिनांक 27.7.1963(अधिसूचना सं0 एम–।।–1(23)63 दिनांक 9.7.63

18.जी.एस.आर.सं0 1278 दिनांक 3.8.1963 (अधिसूचना सं0 एम–।।–152(37)62 दिनांक 22.7.1963

19.जी.एस.आर.सं0 1595 दिनांक 5.10.1963(अधिसूचना सं0 एम–।।–152(53)60 दिनांक 24.9.1963

20.जी.एस.आर.सं0 1685 दिनांक 26.10.1963(अधिसूचना सं0 एम–।।–152(57)61 दिनांक 15.10.1963

21.जी.एस.आर.सं0 1348 दिनांक 19.9.1964(अधिसूचना सं0 1(62)63–एम ।। दिनांक 9.9.1964

22.जी.एस.आर.सं0140 दिनांक 23.1.1965 अधिसूचना सं० 1(52)63–एम।। दिनांक 14.1.1965

23.जी.एस.आर.सं0 793 दिनांक .... 5.1965 अधिसूचना सं0 1(62)63 एम।। दिनांक 26.5.1965

24.जी.एस.आर.सं0 794 दिनांक (अधिसूचना सं0 एम–।।–1(25)64 दिनांक 28.5.1965

25.जी.आर.सं0 1011 दिनांक 24.7.1965 अधिसूचना सं0 1(17)63 एम–।। दिनांक 19.7.1965

26.जी.एस.आर.सं0 1398 दिनांक 25.9.1965 अधिसूचना सं0 1(33)65 एम–।। दिनांक 10.9.1965

27.जी.एस.आर.सं0 369 दिनांक 18.3.1967 अधिसूचना सं0 1(26)66 एम–।। दिनांक 4.3.1967

28.जी.एस.आर.सं0 370 दिनांक 2.3.1968 अधिसूचना सं0 1(2)68–एम ।। दिनांक 23.2.1968

29.जी.एस.आर.सं0 634 दिनांक 1.4.1968 अधिसूचना सं0 1(42)67–एम ।। दिनांक 30.3.1968

30.जी.एस.आर.सं0 703 दिनांक 13.4.1968 अधिसूचना सं0 1(3)68–एम ।। दिनांक 30.3.1968

31.जी.एस.आर.सं0 704 दिनांक 13.4.1968 अधिसूचना सं0 1(33)67–एम–।। दिनांक 30.3.1968

32.जी.एस.आर.सं0 154 दिनांक 25.1.1969 अधिसूचना सं0 1(3)68–एम ।। दिनांक 17.1.1969

33.जी.एस.आर.सं0 791 दिनांक 15.3.1969 अधिसूचना सं0 1(51)65–एम–।। दिनांक 26.2.1969

34.जी.एस.आर.सं0 793 दिनांक 15.3.1969 अधिसूचना सं0 ..... एम–।। दिनांक 5.3.1969

35.जी.एस.आर.सं0 939(ई) दिनांक 12.4.1969 अधिसूचना सं0 1(8)69–एम–।। दिनांक 12.4.1969

36.जी.एस.आर.सं0 1116 दिनांक 1.8.1970 अधिसूचना सं0 1(25)69–एम–6 दिनांक 12.5.1970
37.जी.एस.आर.सं0 1117 दिनांक 1.8.1970 अधिसूचना सं0 1(34)68–एम–6 दिनांक 23.5.1970
38.जी.एस.आर.सं0 1974 दिनांक 5.12.1970 अधिसूचना संख्या 1(27)70-एम-6 दिनांक 12.11.1970
39.जी.एस.आर.सं0 1279 दिनांक 11.9.1971 अधिसूचना सं0 1(33)67–एम-6 दिनांक 22.7.1971
40.जी.एस.आर.सं0 1579 दिनांक 23.10.1971 अधिसूचना सं0 1(3)71–एम-6 दिनांक 6.9.1971
41.जी.एस.आर.सं0 1580 दिनांक 23.10.1971 अधिसूचना सं0 1(9)71–एम-6 दिनांक 7.9.1971
42.जी.एस.आर.सं0 1581 दिनांक 23.10.1971 अधिसूचना सं0 1(19)71–एम-6 दिनांक 9.9.1971
43.जी.एस.आर.सं0 1582 दिनांक 23.10.1971 अधिसूचना सं0 1(4)71–एम-6 दिनांक 9.9.1971
44.जी.एस.आर.सं0 319 दिनांक 18.3.1972 अधिसूचना सं0 1(26)71–एम-6 दिनांक 14.2.1972
45.जी.एस.आर.सं0 58 दिनांक 20.1.1973 अधिसूचना सं0 1(44)72–एम–6 दिनांक 5.1.1973
46.जी.एस.आर.सं0 345 दिनांक 31.3.1973 अधिसूचना सं0 1(6)71–एम–6 दिनांक 13.3.1973
47.जी.एस.आर.सं0 617 दिनांक 9.6.1973 अधिसूचना सं0 1(34)71–एम–6 दिनांक 21.5.1973
48.जी.एस.आर.सं0 1010 दिनांक 15.9.1973 अधिसूचना सं0 1(12)73–एम–6 दिनांक 31.8.1973
49.जी.एस.आर.सं0 1011दिनांक15.9.1973 अधिसूचना सं0 1(31)71–एम–6 दिनांक 31.8.1973
50.जी.एस.आर.सं0 1195 दिनांक 3.11.1973 अधिसूचना सं0 1(11)73–एम–6 दिनांक 17.10.1973
51.जी.एस.आर.सं0 1196 दिनांक 3.11.1973 अधिसूचना सं0 1(1)73–एम–6 दिनांक 17.10.1973
52.जी.एस.आर.सं0 509 दिनांक 25.5.1974 अधिसूचना सं0 1(20)73–एम–6 दिनांक 15.5.1974
53.जी.एस.आर.सं0 1331 दिनांक 14.12.1974 अधिसूचना सं0 1(4)71–एम–6 दिनांक 28.11.1974
54.जी.एस.आर.सं0 1332 दिनांक 14.12.1974 अधिसूचना सं0 1(39)72–एम–6 दिनांक 28.11.1974
55.जी.एस.आर.सं0 1333 दिनांक 14.12.1974 अधिसूचना सं0 1(25)73–एम–6 दिनांक 28.11.1974
56.जी.एस.आर.सं0 396 दिनांक 22.3.1975 अधिसूचना सं0 3(1)74–एम–5 दिनांक 14.3.1975
57.जी.एस.आर.सं0 1164 दिनांक 7.8.1976 अधिसूचना सं0 1(70)73–एम–6 दिनांक 22.7.1976
58.जी.एस.आर.सं0 952 दिनांक 23.7.1977 अधिसूचना सं0 1(29)76–एम–6 दिनांक 2.7.1977
59.जी.एस.आर.सं0 734 दिनांक 26.5.1979 अधिसूचना सं0 1(74)75–एम–6 दिनांक 2.5.1979
60.जी.एस.आर.सं0 804 दिनांक 9.6.1979 अधिसूचना सं0 7(2)78–एम–6 दिनांक 22.5.1979
61.जी.एस.आर.सं0 835 दिनांक 16.6.1979 अधिसूचना सं0 1(79)73–एम–6 दिनांक 31.5.1979
62.जी.एस.आर.सं0 146 दिनांक 2.2.1980 अधिसूचना सं0 3(51)74–एम–6 दिनांक 16.1.1980
63.जी.एस.आर.सं0 824 दिनांक 2.10.1982 अधिसूचना सं0 7(1)82–एम–6 दिनांक 2.10.1982
64.जी.एस.आर.सं0 296 दिनांक 9.4.1983 अधिसूचना सं0 6(9)78–एम–6 दिनांक 18.3.1983
65.जी.एस.आर.सं0 838 दिनांक 12.11.1983 अधिसूचना सं0 6(6)82–एम–6 दिनांक 28.10.1983
66.जी.एस.आर.सं0 298 दिनांक 17.3.1984 अधिसूचना सं0 16(33)82–एम–6 दिनांक 28.2.1984
67.जी.एस.आर.सं0 826 दिनांक 4.8.1984 अधिसूचना सं0 6(9)78–एम–6 दिनांक 27.7.1984
68.जी.एस.आर.सं0 877 दिनांक 21.9.1985 अधिसूचना सं0 7(2)85–एम–6 दिनांक 3.9.1985
69.जी.एस.आर.सं0 146 दिनांक 22.2.1986 अधिसूचना सं0 7(6)85–एम–6 दिनांक 6.2.1986
70.जी.एस.आर.सं0 888 दिनांक 18.10.1986 अधिसूचना सं0 7(4)85–एम–6 दिनांक 22.9.1986
71.जी.एस.आर.सं0 86(ई) दिनांक 10.2.1987 अधिसूचना सं0 1(7)84–एम–6 दिनांक 10.2.1987
72.जी.एस.आर.सं0 855(ई) दिनांक 14.10.1987 अधिसूचना सं0 18(9)87–एम–6 दिनांक 14.10.1987

73.जी.एस.आर.सं0 1002(ई) दिनांक 21.12.1987 अधिसूचना सं0 6(3)87–एम–6 दिनांक 21.12.1987
74.जी.एस.आर.सं0 449(ई) दिनांक 13.4.1988 अधिसूचना सं0 7(7)87–एम–6 दिनांक 13.4.1988
75.जी.एस.आर.सं0 908(ई) दिनांक 19.10.1989 अधिसूचना सं0 7(1)89–एम–6 दिनांक 19.10.1989
76.जी.एस.आर.सं0 129(ई) दिनांक 11.3.1991 अधिसूचना सं0 7(1)90–एम–6 दिनांक 20.2.1991
77.जी.एस.आर.सं0 197(ई) दिनांक 1.4.1991 अधिसूचना सं0 7(1)90–एम–6 दिनांक 1.4.1991
78.जी.एस.आर.सं0 6(ई) दिनांक 7.1.1993 अधिसूचना 7(3)92–एम–6 दिनांक 7.1.1993
79.जी.एस.आर.सं0 345(ई) दिनांक 30.3.1994 अधिसूचना सं0 7(1)93–एम–6 दिनांक 30.3.1994
80.जी.एस.आर.सं0 724(ई) दिनांक 27.9.1994 अधिसूचना सं0 1(7)93–एम–6 दिनांक 27.7.1994
81.जी.एस.आर.सं0 634(ई) दिनांक 13.9.1995 अधिसूचना सं0 7(2)95–एम–6 दिनांक 28.8.1995
82.जी.एस.आर.सं0 9(ई) दिनांक 4.1.1999 अधिसूचना सं0 7(1)98–एम–6 दिनांक 4.1.1999

MINISTRY OF MINES AND MINERALS

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2000

G. S. R. 56 (E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (a) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2000.
(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in clause (i) for the words and brackets "(Regulation and Development)" the brackets and words "(Development and Regulation)" shall be substituted.

3. In rule 3 of the principal rules, after the brackets, word and figures "(33 of 1962)", the following words and letter shall be inserted, namely,-

"and the rules made thereunder in respect of licensing relating to atomic minerals listed in Part B of the First Schedule to the Act."

4. In the principal rules, for "CHAPTER II – Certificate of Approval", the following CHAPTER shall be substituted, namely:-

"CHAPTER II

Grant of Reconnaissance Permits

4. Application for reconnaissance permit.-(1) An application for reconnaissance permit shall be made to the State Government in Form 'A' through such officer or authority as the State Government may specify in this behalf.

(2) (a): Every such application shall be accompanied by a non-refundable fee calculated at the rate of five rupees per square kilometre.

(b) a valid clearance certificate, in the form prescribed by the State Government for payment of mining dues, such as royalty or dead rent or surface rent payable under the Act or rules made thereunder, from that Government or any officer or authority authorised by that Government in this behalf;

Provided that where a person has furnished an affidavit to the satisfaction of the State Government stating that he does not hold and has not held a reconnaissance permit, it shall not be necessary for him to produce the said valid clearance certificate:

Provided that an affidavit stating that no dues are outstanding shall suffice subject to the condition that the certificate required as above shall be furnished within ninety days of the date of application and the application shall become invalid if the party fails to file the certificate within the said ninety days:

Provided also that where any injunction has been issued by a court of law or any other competent authority staying the recovery of any such mining dues or income tax, non-payment thereof shall not be treated as a disqualification for the purpose of granting the reconnaissance permit:

Provided further that in case the applicant is a partnership firm or a private limited company, such certificate shall be furnished by all persons of the partnership firm or, as the case may be, all members of the private limited company.

(c) an affidavit stating that the applicant has -

(i) filed up–to-date income-tax returns;
(ii) paid the income-tax assessed on him; and
(iii) paid the income-tax on the basis of his assessment as provided in the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961).

(d) an affidavit showing the particulars of areas, mineral-wise in the State, which the applicant or any person jointly with him -

(i) already holds under a reconnaissance permit;
(ii) has applied for but not granted; and
(iii) being applied for simultaneously.

4A. Acknowledgement of application.-(1) Where an application for the grant of reconnaissance permit is delivered personally, its receipt shall be acknowledged forthwith.

(2) Where such application is received by registered post, its receipt shall be acknowledged on the same day.

(3) In any other case, the receipt of such application shall be acknowledged within three days of the receipt.

(4) The receipt of every such application shall be acknowledged in Form 'D-1'.

5. Refusal of application for a reconnaissance permit.-(1) The State Government may after giving an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, refuse to grant a reconnaissance permit over the whole or part of the area applied for.

(2) Where it appears that the application is not complete in all material particulars or is not accompanied by the required documents, the State Government shall, by notice, require the applicant to supply the omission or, as the case may be, furnish the documents without delay and in any case not later than thirty days from the date of receipt of the said notice by the applicant.

6. Status of grant on death of the applicant for reconnaissance permit.-(1) Where an applicant for the grant of a reconnaissance permit dies before the order granting him a reconnaissance permit is passed, the application for the grant of reconnaissance permit shall be deemed to have been made by his legal representative.

(2) In the case of an applicant in respect of whom an order granting a reconnaissance permit is passed but who dies before the deed referred in sub rule(1) of rule 7A is executed, the order shall be deemed to have been passed in the name of the legal representative of the deceased.

7. Conditions of a reconnaissance permit.-(1) Every reconnaissance permit granted under these rules, shall, in addition to any other conditions that may be specified therein be subject to the following conditions namely,

(i) the holder of reconnaissance permit shall progressively relinquish the area granted under the permit as follows:-

(a) After completion of two years, the area shall be reduced to one thousand square kilometres or fifty per cent of the area granted, whichever is less; and

(b) The area would be further relinquished so that the permit holder is left with an area not more than twenty five square kilometers at the end of the third year.

(ii) The holder of the reconnaissance permit shall strictly adhere to the minimum expenditure commitment and specific physical targets specified in the order of grant of the permit failing which reconnaissance permit may be cancelled.

(iii) The holder of reconnaissance permit shall make available all data collected by him during the reconnaissance operations to the Geological Survey of India, Indian Bureau of Mines and the State Government which may be made available to any prospecting investor after a minimum period of two years of the completion of the period of reconnaissance permit.

(iv) The holder of reconnaissance permit shall not enter any forest land or any private land without obtaining permission of the Forest Department or the owner of the private land, as the case may be.

(v) The holder of reconnaissance permit shall maintain accurate faithful account of all the expenses incurred by him on the reconnaissance operations.

(vi) The holder of reconnaissance permit shall submit to the State Government a six monthly report of the work done by him and the valuable data collected by him during the period. The report shall be submitted within three months of the close of the period to which it relates.

(vii) The permit holder shall also submit to the State Government within three months of the expiry of the permit, or abandonment of the operations or termination of the permit whichever is earlier, a full report of the work done by him and all information relevant to mineral resources acquired by him in the course of reconnaissance permit in the area covered by the permit.

(viii) While submitting reports under sub clause (vi) or (vii), the permit holder may specify that the whole or any part of the report or data submitted by him shall be kept confidential; and the State Government shall thereupon, keep the specified portions as confidential for a period of two years from the expiry of the permit, or abandonment of operations or termination of the permit, whichever is earlier.

(ix) The permit holder shall allow every officer authorised by the Central Government or the State Government in this behalf to examine at any time accounts maintained and furnish to the Central Government or the State Government or any other officer authorised by it in that behalf such information and returns.

(x) The permit holder shall allow any officer authorised by the Central Government or the State Government in this behalf to inspect any reconnaissance operations carried on by him.

(xi) The permit holder shall pay such permit fee as may be fixed by the State Government, being not less than five rupees per square kilometer and not more than twenty rupees per square kilometer of land held by the permit holder for each year or part thereof.

(2) The reconnaissance permit may contain such other conditions as may be imposed by the Central Government which inter-alia may include the condition that the representative of the Directorate General, Civil Aviation or Ministry of Defence shall be present during the aerial surveys.

(3) The State Government may, with the approval of the Central Government, impose such further conditions in the permit as it may think necessary in the interest of mineral development and for compliance of various legal provisions.

(4) In case of breach of any condition imposed on any holder of reconnaissance permit by or under this rule, the State Government may by order in writing, cancel the permit, and/or forfeit in whole or in part, the amount deposited by the permit holder as security:

Provided that no such order shall be made without giving the permit holder a reasonable opportunity of stating his case.

7A. Reconnaissance Permit to be executed within three months.-(1) Where on any application for a reconnaissance permit an order has been made for the grant of such permit, a deed granting such permit shall be executed within ninety days of the date of the communication of the order or such further period as the State Government may allow in this behalf, and if no such deed is executed within such period due to any fault on the part of the applicant, the State Government may revoke the order granting the reconnassissance permit and in that event the fee paid shall be forfeited to the State Government.

(2) The deed referred to in sub rule 1 shall be in Form F-1, or in a Form as near thereto as circumstances of each case may require.

(3) The date of the commencement of the period for which a reconnaissance permit is granted shall be the date on which the deed is executed after all necessary clearances have been obtained.

7B. Security deposit.-(i) An applicant for a reconnaissance permit shall, before deed referred to in sub rule (1) of rule 7A is executed, deposit as security for the observance of

the terms and conditions of the permit a sum of twenty rupees in respect of every square kilometre or part thereof for which the permit is granted

(ii) Any deposit made under sub clause (i) above if not forfeited under the rules shall be refunded to the applicant as soon as the report referred to in sub rule (1)(vii) of rule 7 is submitted.

7C. Prospecting Licences and Mining Leases of other minerals.-The applications received for grant of prospecting licences or mining leases within the area granted under reconnaissance permit for minerals other than those for which the permit has been granted, shall not be refused on the grounds that the area is not available for grant The State Government shall dispose of such applications as per provisions of these rules.

Provided that if a prospecting licence or a mining lease for other mineral has been granted to some other applicant within the area granted for a reconnaissance permit and where the reconnaissance permit holder discovers availability of minerals covered under his permit within the area so granted subsequently for prospecting or mining of minerals other than those covered under the reconnaissance permit, he shall have the right to get such areas vacated from the licensee or the lessee, as the case may be and such licencee or lessee shall not hinder the reconnaissance operations being undertaken by the reconnaissance permit holder.

7D. Registers.-(1) A register of applications for reconnaissance permits shall be maintained by the State Government in Form G-1.
(2) A register of reconnaissance permit shall be maintained by State Government in Form H-1."

5. For rule 8 of the principal rules, the following shall be substituted, namely,-

"8. Applicability of chapter II, chapter III and chapter IV.- The provisions of chapter II, chapter III and chapter IV shall apply to the grant of reconnaissance permits as well as grant and renewal of prospecting licences and mining leases only in respect of the land in which the minerals vest in the Government of a State."

6. In rule 9 of the principal rules, in sub-rule(2),-

(i) in clause (a), after the opening letter "a", the words "non-refundable" shall be inserted;

(ii) in proviso to clause (d), the word 'further' shall be omitted;

(iii) after the proviso to clause (d), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided further that where any injunction has been issued by court of law or any other competent authority staying the recovery of any such mining dues or income tax, non payment thereof shall not be treated as a disqualification for the purpose of granting or renewing the said prospecting licence:

Provided that where a person has furnished an affidavit to the satisfaction of the State Government stating that he does not hold and has not held a prospecting licence, it shall not be necessary for him to produce the said valid clearance certificate:

Provided further that a sworn affidavit stating that no dues are outstanding shall suffice subject to the condition that the certificate required as above shall become invalid if the party fails to file the certificate within the said ninety days."

(iv) in clause (f), for the word, "each", the word "the" shall be substituted.

(v) in clause(g), -

(a) in second proviso, the word "further" shall be omitted;

(b) after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided further that no further consent would be required in the case of renewal where consent has already been obtained during grant of the licence."

(c) the third, fourth and fifth provisos shall be omitted.

7. In rule 11 of the principal rules , after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

" (4) The State Government may condone delay in submission of an application for renewal of a prospecting licence made after the time limit prescribed in sub-rule(2) provided the application for the renewal has been made before the expiry of the licence.".

8. In rule 12 of the principal rules, in sub-rule (2), after proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the applications received for grant of prospecting licence shall be liable to be considered only if they have not been already disposed of".

9. Rule 13 of the principal rules shall be omitted.

10. In rule 14 of the principal rules,-

(a) in sub-rule(1),-

(i) in clause (vii), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that no prospecting licence shall be transferred to any person who has not filed an affidavit stating that he has filed an up-to-date income-tax returns and paid the income-tax assessed on him and paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and except on payment to the State Government of a fee of five hundred rupees.";

(ii) in clause (ix), after the words and figures, "the Mines Act, 1952", the following shall be inserted, namely:-

"(35 of 1952) and the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) insofar as the latter relate to atomic minerals included in Part B of the First Schedule to the Act.";

(iii) proviso to clause (xii) shall be omitted;

(b) for sub-rule(3),the following shall be substituted, namely:-
"(3) The State Government may, either with the previous approval of the Central Government or at the instance of the Central Government, impose such further conditions as may be necessary in the interest of mineral development, including development of atomic minerals."

11. In rule 18 of the principal rules, for the words "a correct", the words "an accurate", shall be substituted.

12. In rule 22 of the principal rules, –

(a) (i) in sub-rule(3), in clause (i), in sub-clause (a), after the opening letter "a", the words "non-refundable", shall be inserted;

(ii) in sub-clause(d), after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that where any injunction has been issued by court of law or any other competent authority staying the recovery of any such mining dues or income tax non payment thereof shall not be treated as a disqualification for the purpose of granting or renewing the said mining lease:

Provided that where a person has furnished an affidavit to the satisfaction of the State Government stating that he does not hold and has not held a mining lease, it shall not be necessary for him to produce the said valid clearance certificate:

Provided that a properly sworn affidavit stating that no dues are outstanding shall suffice subject to the condition that the certificate required as above shall be furnished within ninety days of the date of application and the application shall become invalid if the party fails to file the certificate within the said ninety days:

Provided further that the grant of clearance certificate under sub-clause(d) shall not discharge the holder of such certificate from the liability to pay the mining dues which may subsequently be found to be payable by him under the Act or rules made thereunder.";

(iii) in sub-clause(g), for the word "each", the word "the" shall be substituted;

(iv) in sub-clause (h), the fourth, fifth, sixth and seventh provisos shall be omitted;

(b) after sub-rule(4), the following sub rule shall be inserted, namely:-

"(4A) Notwithstanding anything contained in sub-rule(4), the State Government shall be competent to approve mining plan in respect of non-metallic or industrial minerals for mines other than 'A' category mines; as specified in sub-clause (i) of clause (b) of sub-rule(1) of rule 42 of Mineral Conservation and Development Rules, 1988.

Provided that the State Government shall exercise the power of approval of mining plan through an officer or officers having the requisite qualifications and experience for the purpose as may be prescribed by the Controller General, Indian Bureau of Mines from time to time:

Provided further where any State Government does not have such officer as having the requisite qualifications and experience, the power of approval of mining plan, as aforesaid, in respect of that State shall be exercised by the Central Government:

Provided also that in the event of the State Government having officer or officers with requisite qualifications and experience from any date in future the State Government shall report the matter to the Controller General, Indian Bureau of Mines and the State Government shall exercise the power of approval of mining plan, as aforesaid, thereafter without any reference to the Central Government.";

(c) in sub-rule(5), -

(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) the plan of the lease hold area showing the nature and extent of the mineral body, spot or spots where the mining operations are proposed to be based on the prospecting data gathered by the applicant or any other person";

(ii) for clause(v), the following clause shall be substituted, namely:-
"(v) a tentative scheme of mining and annual programme and plan for excavation from year to year for five years; and";

(d) after sub-rule(5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6) The mining plan once approved shall be valid for the entire duration of the lease:

Provided that any modification or modifications of the mining plan shall be approved by the competent authority and such approval of the modified mining plan shall remain valid for the balance duration of the mining lease.".

13. For rule 22BB of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely,-

"22BB (1) Notwithstanding the provisions of rule 63 the mining plan shall be submitted for approval through authority notified by the Controller General of the Indian Bureau of Mines or by the State Government, as the case may be, in this behalf except for minerals specified in Part A and B of the First Schedule to the Act;

(2) Notwithstanding the provisions of the rule 54, any person aggrieved by any order made or direction issued in respect of mining plan by an officer of the Central Government competent to approve mining plans other than the Chief Controller of Mines, Indian Bureau of Mines for minerals other than those listed in Part A and B of the First Schedule to the Act, may within thirty days of the communication of such order or direction, apply to the authority to whom the said officer is immediately subordinate, for the revision of the order or direction:

Provided that any such application may be entertained after the said period of thirty days if the applicant satisfies the authority that he had sufficient cause for not making the application within time;

(3) On receipt of any application for revision under sub-rule(1), the authority after giving a reasonable opportunity of being heard to the aggrieved person, may confirm, modify or set aside the order made or direction issued by any officer subordinate to him;

(4) Any person aggrieved by an order made or direction issued by the Chief Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, concerning approval of mining plan may within thirty days of the communication of such order or direction, apply to the Controller General, Indian Bureau of Mines for a revision of such order or direction and his decision thereon shall be final:

Provided that any such application may be entertained after the said period of 30 days, if the applicant satisfies the Controller General, Indian Bureau of Mines that he had sufficient cause for not making the application in time;

(5) On receipt of any such application under sub-rule (4), the Controller General, Indian Bureau of Mines may confirm, modify or set aside the order or direction issued by the Chief Controller of Mines, Indian Bureau of Mines.

(6)(a) Notwithstanding anything contained in the above sub-rules, any person aggrieved by any order or direction issued in respect of a mining plan by an authorised officer of the State Government, may within thirty days of the communication of such order or direction, apply to the Controller General, Indian Bureau of Mines for revision of the order or direction and his decision thereon shall be final;

(b) The procedure enumerated in the preceding sub-rules shall, mutatis mutandis, be followed in the disposal of such an application.

(7) The powers under sub-rules (1) and (2) in regard to approval of mining plans shall be exercised by Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad, and in regard to revision under sub-rules (3) to (5) shall be exercised by Secretary, Department of Atomic Energy, Mumbai, insofar as they relate to atomic minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act.

(8) The powers under sub-rules (1) to (5) in regard to approval of mining plan and revision shall be exercised by authorities designated in this behalf by notification by the Department of Coal insofar as they relate to coal and lignite specified in Part A of the First Schedule to the Act.".

14. In rule 22C of the principal rules, –

(i) for sub-rule(3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) A recognition shall be granted for an initial period of ten years and may be renewed for a period(s) not exceeding ten years at a time:

"Provided that the competent authority may refuse to renew recognition for reasons to be recorded in writing after giving an opportunity of hearing to the person concerned";

(ii) for sub-rule(4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) An appeal shall lie to the Controller General, Indian Bureau of Mines, against the order of the competent authority refusing to grant or renew an application for recognition and his order thereon shall be final";
(iii) for Explanation, the following shall be substituted, namely:-
"*Explanation.*- For the purpose of this rule, Chief Controller of Mines, Controller of Mines and the Regional Controller of Mines, shall be deemed to be competent authority.".

15. In rule 24A of the principal rules, -
(i) for sub-rule(2), the following sub-rule, shall be substituted, namely:-

"(2) The renewal or renewals of a mining lease granted in respect of a mineral specified in Part 'A' and Part 'B' of the First Schedule to the Act may be granted by the State Government with the previous approval of the Central Government.";

(ii) for sub-rule(3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The renewal or renewals of a mining lease granted in respect of a mineral not specified in Part 'A' and Part 'B' of the First Schedule to the Act may be granted by the State Government.";

(iii) sub-rule(7) shall be omitted;

(iv) for sub-rule(10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(10) The State Government may condone delay in an application for renewal of mining lease made after the time limit prescribed in sub-rule (1) provided the application has been made before the expiry of the lease".

16. Rule 25 of the principal rules, shall be omitted.

17. In rule 27 of the principal rules, –

(a) in sub-rule (1),-
(i)in clause(i), for the word "correct", the words "accurate and faithful", shall be substituted;
(ii) in clause (r), after the words and figures "Mines Act, 1952", the following words and figures shall be inserted, namely ,-
"(35 of 1952) and of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) insofar as they relate to atomic minerals included in Part B of the First Schedule to the Act";
(b) in sub-rule (2), after clause (l), the following clause (la) shall be inserted, namely:-
"(la) the time limit for removal of mineral, ore, plant, machinery and other properties from the lease hold area after expiration, or sooner determination or surrender or abandonment of the mining lease;";

(c) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely,-

"(3)The State Government may, either with the previous approval of the Central Government or at the instance of the Central Government, impose such further conditions as may be necessary in the interests of mineral development, including development of atomic minerals.".

18. In rule 28 of the principal rules, in sub-rule(4), after Explanation 2, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"*Explanation* 3.- In case of mining lessee who has undertaken reconnaissance operations or in case of mining lessee whose capital investment in mine development is planned to be in excess of Rs.200 crores and where the mine development is likely to take more than two years, the State Government shall consider it to be sufficient reason for non-commencement of mining operations for a continuous period of more than two years.".

19. In rule 31 of the principal rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The date of the commencement of the period for which a mining lease is granted shall be the date on which a duly executed deed under sub-rule (1) is registered.".

20. In rule 32 of the principal rules, for the words "two thousand rupees," the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

21. After rule 34 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"35. Preferential rights of certain persons.- Where two or more persons have applied for a reconnaissance permit or a prospecting licence or a mining lease in respect of the same land, the State Government shall, for the purpose of sub-section(2) of Section 11, consider, besides the matters mentioned in clauses (a) to (d) of sub-section(3) of section 11, the end use of the mineral by the applicant."

22. In rule 37 of the principal rules,-

(i) in sub-rule(1),-

(a) after the words "specified in", the words and letters "Part 'A' and Part 'B' of " shall be inserted;

(b) in clause (b), after the opening words "enter into or make any", the word "bonafide" shall be inserted;

(ii) in sub-rule(2), the fourth proviso shall be omitted.

23. After rule 37A of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"38. Amalgamation of leases.-The State Government may, in the interest of mineral development and with reasons to be recorded in writing, permit amalgamation of two or more adjoining leases held by a lessee:

Provided that the period of amalgamated leases shall be co-terminus with the lease whose period will expire first:

Provided further that prior approval of the Central Government shall be required for such amalgamation in respect of leases for minerals specified in Part 'A' and Part 'B' of the First Schedule to the Act.".

24. For rule 39 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

" 39. Pending applications for transfer and amalgamation.-An application for the transfer of a mining lease or the amalgamation of mining leases pending at the commencement of these rules shall be disposed of in accordance with these rules.".

25. In rule 54 of the principal rules, sub-rule (1A) shall be omitted.

26. In rule 57 of the principal rules, -

(a) in sub-rule (1), for the words "prospecting licence and mining lease", the words "reconnaissance permit, prospecting licence and mining lease", shall be substituted;
(b) in sub-rules (1) and (2) for the words "Chief Inspector of Mines", wherever they occur, the words "Director General, Mines Safety" shall be substituted;
(c) in sub-rule (2), for the words "prospecting licences and mining leases," the words "reconnaissance permits, prospecting licences and mining leases" shall be substituted.

27. In rule 59 of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) No area –

(a) which was previously held or which is being held under a reconnaissance permit or a prospecting licence or a mining lease; or
(b) which has been reserved by the Government or any local authority for any purpose other than mining; or
(c) in respect of which the order granting a permit or licence or lease has been revoked under sub-rule (1) of rule 7A or sub-rule(1) of rule15 or sub-rule(1) of rule 31, as the case may be; or
(d) in respect of which a notification has been issued under the sub-section (2) or sub-section (4) of section 17; or
(e) which has been reserved by the State Government or under Section 17A of the Act

shall be available for grant unless –

(i) an entry to the effect that the area is available for grant is made in the register referred to in sub-rule (2) of rule 7D or sub-rule (2) of rule 21 or sub-rule (2) of rule 40 as the case may be; and

(ii) the availability of the area for grant is notified in the Official Gazette and specifying a date (being a date not earlier than thirty days from the date of the publication of such notification in the Official Gazette) from which such area shall be available for grant:

Provided that nothing in this rule shall apply to the renewal of a lease in favour of the original lessee or his legal heirs notwithstanding the fact that the lease has already expired:

Provided further that where an area reserved under rule 58 or under section 17A of the Act is proposed to be granted to a Government Company, no notification under clause (ii) shall be required to be issued:

Provided also that where an area held under a reconnaissance permit or a prospecting licence, as the case may be, is granted in terms of sub-section(1) of section 11, no notification under clause (ii) shall be required to be issued.".

28. In rule 60 of the principal rules,-
(a) in the opening paragraph for the words "prospecting licence or mining lease", the words "reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease" shall be substituted;
(b) for the clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) where any such notification has been issued, the period specified in the notification has not expired, shall be deemed to be premature and shall not be entertained.".

29. For rule 61 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-
"61. Lessor to supply certain information to the lessee.- Where any area has previously been held under a reconnaissance permit or prospecting licence or mining lease, the person who was granted such permit or licence or lease shall make available to the new permit holder or licensee or lessee the original or certified copies of all plans of abandoned workings in that area and in a belt preferably 60 metres surrounding it.".

30. In rule 62 of the principal rules,-
(i) in sub-rule (1), for the words "prospecting licence or a mining lease", the words "reconnaissance permit, a prospecting licence or a mining lease" shall be substituted;

(ii) for existing sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) If the holder of a reconnaissance permit or a prospecting licence or a mining lease fails, without sufficient cause, to furnish the information referred to in sub-rule(1), the State Government may determine the reconnaissance permit or prospecting licence or mining lease, as the case may be:

Provided that no such order shall be made without giving the permit holder or the licensee or the lessee, as the case may be, a reasonable opportunity of stating his case.".

31. In rule 66 of the principal rule,-
(a) in sub-rule (1),-
(i) in the opening paragraph, for the words "licensee or lessee", the words "permit holder or licensee or lessee" shall be substituted;
(ii) for the words "prospecting or mining" wherever they occur, the words "reconnaissance or prospecting or mining" shall be substituted;

(iii) in clause (b), for the words "Secretary, Department of Atomic Energy, New Delhi", the words "Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad", shall be substituted;

(b) in sub-rule(2), for the words "prospecting licence or mining", the words "reconnaissance permit or prospecting licence or mining" shall be substituted.

32. In rule 66A of the principal rules,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) in clause (i), for the words " Atomic Minerals Division, New Delhi", the words "Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad" shall be substituted;

(ii) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-
"(ii)that the quantities of atomic minerals recovered incidental to such prospecting or mining operations shall be collected and stacked separately and a report to that effect sent to the Secretary, Department of Atomic Energy, Mumbai and the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad every three months for such further action by the licensee or lessee as may be directed by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research or the Department of Atomic Energy".

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The licensee or lessee referred to in sub-rule(1) shall be free to remove and dispose of any quantity of atomic minerals, on obtaining a licence for that purpose from the Department of Atomic Energy and on payment of royalty to the State Government";

(c) for sub-rule (3) and proviso thereto, the following shall be substituted, namely:-

" (3)The licensee or lessee referred to in sub-rule(1) shall, within the period referred to therein, apply to the Secretary, Department of Atomic Energy, Mumbai, through the State Government, for grant of a licence to handle the said atomic minerals under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962):

Provided that if in the opinion of the Department of Atomic Energy the atomic mineral/minerals recovered incidentally to such prospecting/mining operations is not of economically exploitable grade or the quantity found is insignificant, it may advise the State Government to exempt the licensee/lessee from obtaining a separate licence/lease for/or inclusion of the atomic minerals under these Rules.";

(d) for sub-rule(5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) For the purpose of rule 66(1)(b) and this rule, 'atomic minerals' means the minerals listed in Part B of the First Schedule to the Act.".

33. In rule 69 of the principal rules, in clause (x), after the word "Rutile", the word "Leucoxene" shall be inserted.

34. Rule 71 of the principal rules shall be omitted.

35. In rule 72 of the principal rules, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The holder of a reconnaissance permit or prospecting licence or mining lease shall be liable to pay to the occupier of the surface of the land over which he holds the reconnaissance permit or prospecting licence or mining lease as the case may be, such annual compensation as may be determined by an officer appointed by the State Government by notification in this behalf in the manner provided in sub-rules (2) to (4)."

36. In rule 73 of the principal rules,-

(i)for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
" (1) After the termination of a reconnaissance permit or a prospecting licence or a mining lease, the State Government shall assess the damage, if any, done to the land by the reconnaissance or prospecting or mining operations and shall determine the amount of compensation payable by the permit holder or licensee or the lessee as the case may be to the occupier of the surface land";

(ii) in sub-rule(2), for the words, "prospecting licence or mining lease", the words "reconnaissance permit or prospecting licence or mining lease" shall be substituted.

37. In rule 75 of the principal rule, the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that if the State Government fails to undertake prospecting or mining operation within the period mentioned in the notification, the notification so issued shall lapse at the expiry of the said period unless the period is extended by a fresh notification".

38. In Schedule I to the principal rules,-
(a) for the portion beginning with the figures, words and letter "2. Application for prospecting licence Form B", and ending with the figures, words and letter "15. Model form for transfer of mining lease Form O", the following shall be substituted, namely:-

"INDEX

1.	Application for Reconnaissance Permit	Form A
2.	Application for prospecting licence	Form B
3.	Receipt of applications for Prospecting Licence/ Mining Lease or renewals	Form D
4.	Receipt of application for Reconnaissance Permit	Form D-1
5.	Application for renewal of Prospecting Licence	Form E
6.	Prospecting Licence Deed	Form F
7.	Reconnaissance Permit Deed	Form F-1
8.	Register of applications for Prospecting Licences	Form G
9.	Register of applications for Reconnaissance Permits	Form G-1
10.	Register of Prospecting Licences	Form H
11.	Register of Reconnaissance Permits	Form H-1
12.	Application for Mining Lease	Form I
13.	Application for renewal of Mining Lease	Form J
14.	Mining Lease Deed	Form K
15.	Register of applications for Mining Lease	Form L
16.	Register of Mining Leases	Form M
17.	Application for revision	Form N
18.	Model form for transfer of Mining Lease	Form O";

(b) before the FORM B, the following FORM A shall be inserted, namely:-

"FORM A

To be submitted in quadruplicate

Received
at.....
(place) on.....
(Date)
Initial of Receiving Officer

GOVERNMENT OF..

(APPLICATION FOR RECONNAISSANCE PERMIT)
[See rule 4]

Dated.....day of.....19

To
Through

Sir,

I/We request that a reconnaissance permit under the Mineral Concession Rules, 1960 be granted to me/us.

2. A sum of Rs.....being the fee in respect of this application at the rate of Rs.5/- per square kilometre or part thereof payable in accordance with the Mineral Concession Rules, 1960 has been deposited.

3. The required particulars are given below:-

(i) Name of the applicant with complete address;
(ii) Is the applicant a private individual/private company/public company/firm or association?
(iii) In case applicant is:
  (a) an individual, his nationality;
  (b) a company, an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed;
  (c) firm or association, the nationality of all the partners of the firm or members of the association;
(iv) Profession or nature of business of applicant;
(v) No. and date of the valid clearance certificate of payment of mining dues(copy attached);
(vi) If on the date of application the applicant does not hold a reconnaissance permit, it should be stated whether an affidavit to this effect has been furnished to the satisfaction of the State Government;
(vii) Mineral or minerals which the applicant intends to prospect;
(viii) Period for which the reconnaissance permit is required;
(ix) Extent of the area the applicant wants to prospect;

(x) Details of the area in respect of which reconnaissance permit is required:

District	Taluq	Area

(xi) Particulars of the areas mineral-wise within the jurisdiction of the State Government for which the applicant or any person joint in interest with him;
(a) already holds under reconnaissance permit;
(b) has already applied for but not granted;
(c) being applied for simultaneously.

(xii) Nature of joint interest, if any;

(xiii) If the applicant intends to supervise the works, his previous experience of reconnaissance, prospecting or mining operations should be explained; if he intends to appoint a manager, the name of such manager, his qualifications, nature and extent of his previous experience should be specified and his consent letter should be attached;

(xiv) Financial resources of the applicant.

(xv) Particulars of receipted treasury challan attached for the amount referred to at 2 above;

(xvi) The works proposed to be undertaken alongwith their physical annual targets;

(xvii) The scheme of relinquishment of the area;

(xviii) Anticipated minimum annual expenditure (activity of workwise);

(xix) Any other particulars or sketch map which the applicant wishes to furnish.

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, including accurate plans as may be required by you.

Yours faithfully,

(Signature and designation of the applicant)

Place
Date

* The topographical map of 1"=1 mile scale is obtainable from the office of the Survey of India, Hathibarkhala, Dehradun.

Detailed plan and topographical map are to be attached in quadruplicate with the original application.

Note: 1. If the application is signed by an authorised agent of the applicant, Power of Attorney should be attached.

2. The application should relate to one compact area only.";

(c) after "FORM D", the following "FORM D-1" shall be inserted, namely:-

"FORM D - 1

(Receipt of Application for Reconnaissance Permit)

(See rule 4-A)

Government of

S.No. Dated

Received the application with the following enclosures for a reconnaissance permit of Shri/Sarvashree ....on.....19..... for ---------- square kilometres of land located in village/Government Forest Taluq.....District for reconnaissance of---------mineral/minerals.

Enclosures:

Place
Date

Signature and designation of the
Receiving Officer";

(d) after "Form F", the following "FORM F-1" shall be inserted, namely:-

"FORM F – 1

(RECONNAISSANCE PERMIT DEED)

(See rule 7A)

THIS INDENTURE made this----------day of -----19 between the Governor of ----------/the President of India (hereinafter referred to as the 'State Government' which expression shall where the context so admits be deemed to include his

When the permit holder is individual

successors and assigns) of the one part and----------an ----------(name of person with Address and occupation)(hereinafter referred to as 'the permit holder' which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

When the permit holders are more than one individual

(Name of person with address and occupation) and ---------- (Name of person with Address and occupation) (hereinafter referred to as 'the permit holders' which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective, heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns).

----------(Name and address of partner) son of -------

----------of----------

----------son of ----------of----------

----------son of----------of----------

When the permit holder is A registered firm

---------- all carrying on business in partnership under the firm name and style of (name of the firm) Registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at---------- in the town of ---------- (hereinafter referred to as the permit holder which expression shall where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns).

When the permit holder is a registered company

---------- (Name of company) a company registered under ---------- -------- (Act under which incorporated) and having its registered office at---------- (Address) (hereinafter referred to as 'the permit holder' which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the other part.

WHEREAS the permit holder/holders has/have applied to the State Government in accordance with the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said Rules)

for a reconnaissance permit to prospect for ----------in the land specified in Schedule 'A' hereunder written and delineated in the plan herewith annexed (hereinafter referred to as the said lands) and has/have deposited with the State Government Rs.---------- as the prescribed security according to rule 7B in respect of such permit and has/have paid to the State Government the sum of Rs.---------- as the prescribed permit fee for ----------months/years in advance in respect of such permit and WHEREAS there is no objection to the grant of such permit and WHEREAS the Central Government has approved the grant of this permit. NOW THESE PRESENTS WITNESS as follows:

PART 1

In consideration of the fee, covenants and agreements hereinafter reserved and contained and on the part of the permit holder(s) to be paid, observed and performed, the State Government hereby grants the reconnaissance permit and demises into the permit holder(s) the rights.

(1) To enter upon or fly over the lands and undertake reconnaissance operations :

To enter upon or fly over the said lands and to undertake reconnaissance operations to search for all, or any----------(name of minerals) lying, or being within, under or throughout the said land:

Provided that :

the permit holder shall not enter any forest land or any private land without obtaining permission of the Forest Department or the owner of the private land, as the case may be;

the permit holder shall not fly over the said land unless all necessary clearances from the Defence and Home Ministries, Government of India and the Director General, Civil Aviation, Government of India have been obtained for undertaking aerial surveys.

(2) To use water and clear undergrowth and brush wood etc. :

Subject to the provisions of clause (1) to make and use any drains or water, grounds on the said land for purposes as may be necessary for effectively carrying on the reconnaissance operations and to the workers employed therein and to use water provided always that such use shall not diminish or interfere with the supply of water to which any cultivated land, village, building or watering place for livestock has heretofore been accustomed and that no streams, springs or well shall be fouled or polluted nor any trees cut or injured by any such use or the reconnaissance operations hereby permitted.

(3)To bring upon machinery etc. :

To bring upon the said lands such machinery, equipment and conveniences as may be proper and necessary for effectively carrying on the reconnaissance operations hereby permitted or for the workmen employed thereon.

Reserved nevertheless to the State Government full power and liberty at all times to enter into and upon the said lands for all or any purposes other than those for which sole rights and permit hereby expressly conferred upon.

To hold the said right and permit unto the permit holder(s) from the date of these presents for the term of ----------(hereinafter referred as the said term).

Paying therefor annually in advance a sum of Rs.----------being the permit fee for each year or portion of a year as specified in Schedule B and immediately on the expiration or sooner determination of the said term clear of all fees, rates, taxes, charges and deductions by the permit holder(s) during the said terms.

PART II

Covenants by permit holder(s)

The permit holder(s) hereby covenants/covenant with the State Government as follows :-

Payment of permit fee

(1) To pay annually in advance a permit fee in respect of ensuing year or part of the year at such rates and time as are specified in Schedule 'B' hereunder written.

To carry on work in workman-like-manner:

(2) To work and carry on the operations hereby permitted in a fair, orderly, skilful and workman-like-manner and with as little damage as may be to the surface of the lands and to trees, crops, buildings structures and other property thereon.

Maintenance of correct accounts:

(3) Permit holder/holder(s) shall maintain an accurate and faithful account of all the expenses incurred by him/them on reconnaissance and also the quantity and other particulars of all samples obtained during such operations and their despatch.

Not to cut or injure trees or disturb public places without previous permission:

(4) Not to cut or injure any timber or tree on any unoccupied or unreserved land without the written permission of the Deputy Commissioner/Collector nor without such permission disturb the surface of any road or enter upon any public pleasure ground, burning or burial ground or any place held sacred by any class of persons or interfere with any right of way, well or tank.

(5) Not to enter upon any land in the occupation of any person without the consent of the occupier nor to cut or in any way injure any trees, standing crops, buildings, huts, structures or other property of any kind of the occupier of any land or any other person without the written consent of such owner, occupier or person.

Not to commence work in forest lands without previous permission:

(6) Not to enter upon or commence reconnaissance or prospecting in any forest land without obtaining the written sanction of the Forest Officer so authorised in this behalf by the State Government.

Indemnify Government against all claims:

(7) To make reasonable satisfaction and pay such compensation as assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury, or disturbance which may be done by him in exercise of the powers granted by this permit and to indemnify and keep indemnified fully and completely State Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith.

Abide by other Act and Rules

(8A) To pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the Central or State Government from time to time.

(8B) To comply with the provisions of the Mines Act, 1952.

(8C) To take measures, at his own expenses, for the protection of environment as may be prescribed by the Central or State Government from time to time.

(8D) To pay compensation to the occupier of the surface of the land on the date and in the manner laid down in these rules.

Forfeiture of security deposits etc.:

(9) Whenever the security deposit of Rs.---------- or any part thereof or any further sum hereafter deposited with the State Government in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the State/Central Government, pursuant to the power hereinafter declared in that behalf, the permit holder(s) shall forthwith deposit with the State Government such further sum as may be sufficient with the unappropriated part thereof to bring the amount in deposit with the State Government upto the sum of Rs.----------.

Permit holder not to be controlled by the trust, syndicate, etc.:

(10) The permit holder(s) shall not be controlled or permit himself/themselves to be controlled by any trust, syndicate, corporation, firm or person except with the written consent of the State Government which will be given only after obtaining the prior approval of the Central Government in case where reconnaissance permit executed is in respect of minerals included in the First Schedule to the Act.

Report of accident:

(11) The permit holder(s) shall without delay send to the Deputy Commissioner/Collector a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this permit.

Section 18 of the Act :

(12) The permit holder(s) shall be bound by such rules as may be issued by the Central Government under section 18 of the Act and shall not carry on reconnaissance, prospecting or other operations under the said permit in any way other than as prescribed under these rules.

Plugging of bore holes, fencing, etc. and restoring the surface of land after determination or abandonment:

(13) Save in the case of land over which the permit holder(s) shall have been granted a prospecting licence or mining lease, on or before the expiration or sooner determination of the permit, he shall within six months next after the expiration or sooner determination of the permit or the date of abandonment of the undertaking, whichever shall first occur, securely plug any bore or hole and fill up or fence any holes or excavations that may have been made in the lands to such an extent as may be required by the Deputy Commissioner/Collector concerned and shall, to a like extent, restore the surface of the land and all buildings thereon, which may have been damaged or destroyed in the course of reconnaissance or prospecting, provided that permit holder(s) shall not be required to restore the surface of the land, or any building in respect of which full and proper compensation has already been paid.

Removal of machinery, etc. after expiration, determination or abandonment:

(14) Upon the expiration or sooner determination of this permit or the abandonment of the operations hereby permitted, whichever shall first occur, the permit holder(s) shall remove expeditiously at his/their own cost all plants, engines, machinery implements, utensils and other property and effects theretofore, erected or brought by the permit holder(s) and then standing or being upon the said lands provided that this covenant shall not apply to any part of the said lands which may be comprised in any prospecting licence or mining lease granted to the permit holder(s) during the subsistence of this permit.

Report of work done before the refund of security deposits:

(15) At any time before the said security deposit is returned to him/them or transferred to any other account or within one month after the expiration or sooner determination of the permit or abandonment of the operations whichever is earlier, the permit holder(s) shall submit to the State Government confidentially a full report of the work done by him/them and disclose all information acquired by him/them in the course of the operations carried on under this permit regarding the geology and mineral resources of the area covered by the permit.

Report of information obtained by permit holder:

(16) (1) The permit holder(s) shall submit to State Government:

(a) a six monthly report of the work done by him/them stating the number of persons engaged and disclosing in full the geological, geophysical, or other valuable data collected by him during the period.

The report shall be submitted within three months of the close of the period to which it relates

(b) within three months of the expiry of the permit, or abandonment of operations or termination of the permit, whichever is earlier, a full report of the work done by him and all information relevant to mineral resources acquired by him/them in the course of reconnaissance in the area covered by the permit:

(2) While submitting reports under clause (1), the permit holder(s) may specify that the whole or any part of the report or data submitted by him shall be kept confidential; and the State Government shall thereupon keep the specified portions as confidential for a period of two years from the expiry of the permit or abandonment of operations or termination of the permit, whichever is earlier.

Employment of foreign nationals:

(17) The permit holder(s) shall not employ, in connection with the reconnaissance operation any person who is not an Indian National except with the previous approval of the Central Government.

Furnishing of Geophysical data:

(18) The permit holder(s) shall furnish :

(a) all geophysical data relating to prospecting or engineering ground water surveys, such as anomaly maps, sections, plan structures, contour maps, logging, collected by him/them during the course of reconnaissance to the Director General, Geological Survey of India, Calcutta;

(b) all information pertaining to investigations of radio active minerals collected by him/them during the courses of operations to the Secretary to the Department of Atomic Energy, New Delhi.

Data or information referred to above shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the reconnaissance permit.

PART III – Powers of the Government

It is hereby agreed as follows :-

Cancellation of the permit and forfeiture of the deposit in case of breach of conditions.

(1) In the case of any breach of any condition of the permit by the permit holder(s) or his transferees or assignees, the State Government shall give a reasonable opportunity to the permit holder(s) of stating his/their case and where it is satisfied that the breach is such as cannot be remedied, on giving thirty days notice to the permit holder(s) or his transferees or assignees, determine the permit and or forfeit the whole or any part of the said deposit Rs.---------deposited under the covenants in that behalf as the State Government may deem fit. In case the State Government considers the breach to be of a remediable nature, it shall give notice to the permit holder(s)or his transferees or assignees as the case may be requiring him/them to remedy the breach within thirty days from the date of receipt of the notice informing him of the penalty proposed to be inflicted if such remedy is not made within such period.

Application of security to payment of compensation

(2) The State Government may from time to time appropriate and apply the said deposit of Rs.---------- or any part thereof or any further sum deposited under any covenants in that behalf hereinbefore contained in or towards payment or satisfaction of any claims to compensation which the Government has or may have against the permit holder(s) and/or which may be made by any person or persons against the permit holder(s)and or the State Government in respect of any damage or injury done by the permit holder(s) in exercise of any of the powers conferred by this permit and in or towards payment of any damages, costs of expenses which may become payable as the result of or in connection with any suits or proceedings, which may be instituted against the State Government in respect of any such damage or injury and also or towards payment of the expenses of the carrying out or performance of any works of matters, which the permit holder(s) shall fail to carry out or perform after the expiry or sooner determination of this permit or the abandonment of the operations hereby permitted in accordance with the covenants in that behalf hereinbefore contained or in payment or satisfaction of any claims, damages, costs and expenses.

When the properties are not removed from the lands in time.

(3) If any plants, engines, machinery implements, utensils or other property or effects which ought to be removed by the permit holder(s) from the said lands, in accordance with the covenant in that behalf hereinbefore contained, be not so removed within one calendar month after notice in writing requiring their removal shall have been given to the permit holder(s) by the State Government, the same shall be deemed to have become the property of the State Government and may be sold or disposed of for the benefit of the State Government in such manner as the State Government shall deem fit, without any liability to pay any compensation or to account to the permit holder(s) in respect thereof.

Permit holder(s) to pay for work done on his/their behalf.

(4) If any of the works or matter, which in accordance with the covenants in that behalf hereinbefore contained, are to be carried out or performed by the permit holder(s), be not so carried out or performed within time specified in that behalf, the State Government may cause the same to be carried out or performed and the permit holder(s) shall pay the State Government on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same.

Right of pre-emption

(5) In the event of existence of a state of war or emergency (of which the President of India shall be the sole judge and notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof), the State Government with the consent of the Central Government shall, from time to time and at all times during the said term, have the right [to be exercised by a notice in writing to the permit holder(s)] to forthwith take possession and control of the works, plants, machinery and premises of the permit holder(s) on or in connection with the said lands or the operations under this permit and during such possession or control, the permit holder(s) shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central or State Government regarding the use of employment of such works, plants premises and minerals provided that fair compensation, which shall be determined in default of agreement by the State Government shall be paid to the permit holder(s) for all loss or damages sustained by him/them by reason or any consequence of the exercises of the powers conferred by this clause and provided also that the exercise of such powers shall not determine the said term hereby granted or affect the terms and provisions of these presents further than may be necessary to give effect to the provisions of this clause.

PART – IV

Rights of permit holder(s)

It is hereby further agreed as follows :-

Transfer of permit and fee payable.

(1) During the subsistence of this permit the permit holder(s) may, with the previous sanction of the State Government, transfer his/their permit or any; right, title or interest therein to a person [who has filed an affidavit stating that he has filed up-to-date income tax returns, paid income tax assessed on him and paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), on payable of a fee of five hundred rupees.

Provided that the State Government shall not give its sanction unless-

(i) the permit holder(s) has furnished an affidavit along with his application for transfer of the reconnaissance permit specifying therein the amount that he has already taken or proposes to take as consideration from the transferee;

(ii) the transfer of the reconnaissance permit is to be made to a person or body directly undertaking reconnaissance permit.

Preferential right of the permit holder(s)for obtaining prospecting licence or mining lease:

(3) On or before the determination of the permit the permit holder(s) shall have a preferential right for obtaining a prospecting licence or mining lease in respect of whole or part of that land over any other person provided that the State Government is satisfied that the permit holder(s)has/have not committed any breach of the terms and conditions of the reconnaissance permit has undertaken reconnaissance operations to establish mineral resources and is otherwise a fit person for being granted the prospecting licence or mining lease.

Refund of deposit:

(4) On such date within six calendar months after the determination of the permit as the State Government shall elect after compliance by the permit holder of the provisions of the Mineral Concession Rules, 1960, the amount then remaining in deposit with State Government and not required to be applied to any of the purposes in part III of these presents mentioned, shall be refunded to the permit holder(s) or if the permit holder(s) shall have obtained a prospecting licence or mining lease over the said lands or any portion thereof, be retained at the credit of the permit holder(s) on account of the fees, rents and royalties to become payable under such licence or lease. The amount shall in no case carry any interest whatsoever.

PART V

General Provisions

It is lastly agreed as follows:

Acquisition of land and compensation :

(1) If after the receipt of an offer of compensation for any damage which is likely to arise from the proposed operation of the permit holder(s), the occupier of the surface of any part of the said lands shall refuse his consent to the exercise of the rights and powers reserved to the State government and granted by this permit, the permit holder(s) shall report the matter to the State Government and shall deposit with it the amount offered as compensation and if the State Government is satisfied that the amount of compensation is reasonable or if it is not so satisfied and the permit holder(s) shall have deposited with it such further amount as the State Government may consider reasonable, the State Government shall order the occupier to allow the permit holder(s) to enter upon the said land and carry out such operations as may be necessary for the purpose of the permit. In assessing the amount of such compensation the State Government shall be guided by the principles of the Land Acquisition Act.

Delay in fulfillment of the term of permit due to force majeure:

(2) Failure on the part of permit holder(s) to fulfil any of the terms and conditions of this permit shall not give the State Government any claim against him/her or be deemed a breach of the permit in; so far as such failure is considered by the State Government to arise from force majeure.

If the fulfilment of the permit holder(s) of any of the terms and conditions of this permit be delayed from force majeure, the period of such delay shall be added to the period fixed by this permit.

The expression force majeure means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, tide, tidal wave, storm, flood, lightening, explosion, fire, earthquake and any other happening which the permit holder(s) could not reasonably prevent or control.

Service of notices:

(3) Every notice required to be given to the permit holder(s) shall be given in writing to such person as the permit holder(s) may appoint for the purpose of receiving such notices or if no

such appointment is made then the notice shall be sent to the permit holder(s) by registered post addressed to him/them at the address shown in his/their application for the permit at such other address in India as he/they designate from time to time, and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the permit holder(s) and shall not be questioned or challenged by him.

Discovery of new minerals:

(4) The permit holder shall report to the State Government the discovery of any mineral not specified in the permit within a period of sixty days from the date of such discovery.

Immunity of State Government from liability to pay compensation

(5) if in any event the orders of the State Government are revised, reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under chapter VII of the Mineral Concession Rules, 1960 the permit holder(s) shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the permit holder(s)in exercise of the powers and privileges conferred upon him/them by these presents.

(6) The permit deed is executed at the----------of the State of----------(Name of the State) and subject to the provision of article 226 of the Constitution of India. It is hereby agreed upon by the permit holder(s) and the State Government that in the event of any dispute in relation to the area under reconnaissance permit and condition of the permit deed and in respect of all matters touching the relationship of the permit holder(s)and the State Government, suits or petitions shall be filed in civil courts at ----------(name of the city) and it is hereby expressly agreed that neither party shall file a suit or appeal or bring any actions at any place other than courts named above.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.

SCHEDULE A
The land covered by the permit

(Here insert the description of lands with area, boundaries, names of District, Sub-Division, Thana, etc. and cadastral survey numbers, if any. In case a map is attached, refer the map in the description to be inserted.)

SCHEDULE B
[Under rule 7(1)(xi)]

(Here specify the amount of permit fee and manner and time of payment.)";

(e) after "Form G" the following "FORM G-1" shall be inserted, namely:-

"FORM G - 1

REGISTER OF APPLICATIONS FOR RECONNAISSANCE PERMITS

[See rule 7D(1)]

1. Serial No.
2. Date of application of Reconnaissance Permit.
3. Date on which application was received by the Receiving Officer.
4. Name of the applicant with full address.
5. Situation and boundaries of the land applied for.
6. Estimated area of the land.
7. Particulars of the minerals which the applicant desires to prospect.
8. Application fee paid.
9. Remarks.
10. Final disposal of the application together with number and date of the order.
11. Signature of the Officer.";

(f) after "Form H" , the following FORM H-1 shall be inserted, namely:-

"FORM H - 1
(REGISTER OF RECONNAISSANCE PERMITS)
[See rule 7D(2)]

1. Serial number.
2. Name of the permit holder.
3. Residence with complete address of the permit holder.
4. Date of application.
5. Date on which application was received by the Receiving Officer.
6. Situation and boundaries of the land.
7. The details of the area and the minerals in the State for which the applicant holds reconnaissance permit on the basis of information supplied by the permit holder.
8. Total area for which permit granted.
9. (a) Number and date of grant of the permit.
   (b)Date of execution of reconnaissance permit agreement.
10. The mineral or minerals for which reconnaissance permit has been granted.
11. Period for which granted.
12. Application fee paid.
13. Permit fee paid.
14. Amount of security deposit.
15. Particulars of disposal or refund of security deposit.
16. Date of application for prospecting licence or mining lease (if any).
17. Date(s) of expiry or relinquishment or cancellation of permit or grant of prospecting licence or mining lease.
18. Date of assignment or transfer of reconnaissance permit, if any, and name and Address of assignee or transferee.
19. Date (s) from which the area is available for regrant.
20. Remarks.
21. Signature of the Officer.";

(g) in Form K, in PART IX,-

(a) in clause 5, after the words "their own benefit all or any", the words "ore mineral excavated during the currency of lease," shall be inserted;

(b) in clause 6, after the words "said land any," the words "ore or mineral," shall be inserted.

[F. No. 7/3/99-M-VI]

S. P. GUPTA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Official Gazette vide GSR No. 1398 dated 26-11-1960 (Notification No M-II-159(1)/57 dated 11-11-1960).

These rules were amended vide following notifications:-

1. GSR No.1459 dated 10.12.1960 (Notification No.M-II-159(1)/57 dated 1.12.1960.
2. GSR No.880 dated (Notification No.M-II-152(13)/61 dated 30.6.1961.
3. GSR No.1133 dated 16.9.1961(Notification No.M-II-169(44)/61 dated 7.9.1961
4. GSR No. dated (Notification No.M.II-164(12)/61 dated 16.10.1961.
5. GSR No.1446 dated 9.12.1961 (Notification No.M-II-159(18)/54 dated 2.12.1961
6. GSR No.166 dated 10.2.1962 (Notification No.M-V-3(1)/61 dated 1.2.1962
7. GSR No.718 dated 26.5.1962 (Notification No.M-II-152(33)/52 dated 16.5.1962
8. GSR No.1051 dated 4.8.1962 (Notification No.M-II-152(26)/59 dated 1.6.1962
9. GSR No.1076 dated 11.8.1962 (Notification No.M-V-3(1)/61 dated 6.8.1962
10. GSR No.1707 dated 15.12.1962 Notification No.M-II-152(18)/61 dated 4.12.1962
11. GSR No.104 dated 19.1.1963 Notification No.M-II-152(46)/62 dated 5.1.1963
12. GSR No. 805 dated 11.5.1963(Notification No.M-II-152(58)/61 dated 30.4.1963
13. GSR No. 842 dated 18.5.1963(Notification No.M-II-152(11)/62 dated 6.5.1963
14. GSR No.843 dated 18.5.1963 Notification No.M-II-169(44)/61 dated 6.5.1963
15. GSR No. 845 dated .....(Notification No.M-II-169(44)/61 dated 6.9.1963
16. GSR No.1243 dated 27.7..1963(Notification No.M-II-1(22)/63 dated 18.7.1963
17. GSR No.1214 dated 27.7.1963 Notification No.M-II-1(23)/63 dated 9.7.1963
18. GSR No.1278 dated 3.8..1963(Notification No.M-II-152(37)/62 dated 22.7.1963
19. GSR No.1595 dated 5.10.1963(Notification No.M-II-152(53)/60 dated 24.9.1963
20. GSR No.1685 dated 26.10.1963 Notification No.M-II-152(57)/61 dated 15.10.1963
21. GSR No.1348dated 19.9.1964 Notification No.1(62)/63-MII dated 9.9.1964
22. GSR No.140 dated 23.1.1965 Notification No. 1(52)/63 M-II dated 14.1.1965
23. GSR No.793 dated.....5.1965 Notification No. 1(62)/63 M-II dated 26.5.1965
24. GSR No.794 dated (Notification No.M-II-1(25)/64 dated 28.5.1965.
25. GSR No.1011 dated 24.7.1965 Notification No. 1(17)/63 M-II dated 19.7.1965

26. GSR No.1398 dated 25.9.1965 Notification No. 1(33)/65 M-II dated 10.9.1965

27. GSR No. 369 dated18.3.1967(Notification No.1(26)/66-M-II dated 4.3.1967

28. GSR No. 370 dated 2.3.1968 (Notification No.1(2)/68-M-II dated 23.2.1968

29. GSR No 634 dated 1.4.1968 (Notification No.1(42)/67-M-II dated 30.3.1968

30. GSR No.703 dated 13.4.1968 Notification No. 1(3)/68 M-II dated 30.3.1968

31. GSR No.704 dated 13.4.1968 Notification No. 1(33)/67 M-II dated 30.3.1968

32. GSR No. 154 dated 25.1.1969 (Notification No.1(3)/68-M-II dated 17.1.1969

33. GSR No. 791 dated 15.3.1969 (Notification No.1(51)/65-M-II dated 26.2.1969

34. GSR No.793 dated 15.3.1969 Notification No. .....M-II dated 5.3.1969

35. GSR No.939(E) dated 12.4.1969 Notification No. 1(8)/69 M-II dated 12.4.1969

36. GSR No.1116 dated 1.8.1970 Notification No. 1(25)/69 M-VI dated 12.5.1970

37. GSR No.1117 dated 1.8.1970 (Notification No.1(34)/68-M-VI dated 23.5.1970

38. GSR No.1974 dated 5.12.1970 Notification No. 1(27)/70 M-VI dated 12.11.1970

39. GSR No.1279 dated 11.9.1971 (Notification No.1(33)/67-M-VI dated 22.7.1971

40. GSR No.1579 dated 23.10.1971 (Notification No.1(3)/71-M-VI dated 6.9.1971

41. GSR No.1580 dated 23.10.1971 (Notification No.1(9)/71-M-VI dated 7.9.1971

42. GSR No.1581 dated 23.10.1971 Notification No. 1(19)/71 M-VI dated 9.9.1971

43. GSR No.1582 dated 23.10.1971 Notification No. 1(4)/71 M-VI dated 9.9.1971

44. GSR No.319 dated 18.3.1972 (Notification No.1(26)/71-M-VI dated 14.2.1972

45. GSR No.58 dated 20.1.1973 Notification No. 1(44)/72 M-VI dated 5.1.1973

46. GSR No.345 dated 31.3.1973 (Notification No.1(6)/71-M-VI dated 13.3..1973

47. GSR No.617 dated 9.6.1973 (Notification No.1(34)/71-M-VI dated 21.5.1973

48. GSR No.1010 dated 15.9.1973 (Notification No.1(12)/73-M-VI dated 31.8.1973

49. GSR No.1011 dated 15.9.1973 (Notification No.1(31)/71-M-VI dated 31.8.1973

50. GSR No.1195 dated 3.11.1973 (Notification No.1(11)/73-M-VI dated 17.10.1973

51. GSR No.1196 dated 3.11.1973 (Notification No.1(1)/73-M-VI dated 17.10.1973

52. GSR No.509 dated 25.5.1974 (Notification No.1(20)/73-M-VI dated 15.5.1974

53. GSR No.1331 dated 14.12.1974 (Notification No.1(4)/71-M-VI dated 28.11.1974

54. GSR No.1332 dated 14.12.1974 (Notification No.1(39)/72-M-VI dated 28.11.1974

55. GSR No.1333 dated 14.12.1974 Notification No. 1(25)/73 M-VI dated 28.11.1974

56. GSR No.396 dated 22.3.1975 (Notification No.3(1)/74-M-V dated 14.3.1975

57. GSR No.1164 dated 7.8.1976 (Notification No.1(70)/73-M-VI dated 22.7.1976

58. GSR No.952 dated 23.7.1977 Notification No. 1(29)/76 M-VI dated 2.7.1977

59. GSR No.734 dated 26.5.1979 (Notification No.1(74)/75-M-VI dated 2.5.1979

60. GSR No.804 dated 9.6.1979 (Notification No.7(2)/78-M-VI dated 22.5.1979

61. GSR No.835 dated 16.6.1979 (Notification No.1(79)/73-M-VI dated 31.5.1979

62. GSR No.146 dated 2.2.1980 (Notification No.3(51)/74-M-VI dated 16.1.1980

63. GSR No.824 dated 2.10.1982 (Notification No.7(1)/82-M-VI dated 2.10.1982

64. GSR No.296 dated 9.4.1983 (Notification No.6(9)/78-M-VI dated 18.3.1983

65. GSR No.838 dated 12.11.1983 Notification No.6(6)/82-MVI dated 28.10.1983

66. GSR No.298 dated 17.3.1984 Notification No. 16(33)/82 M-VI dated 28.2.1984

67. GSR No.826 dated 4.8.1984 (Notification No.6(9)/78-M-VI dated 27.7.1984

68. GSR No.877 dated 21.9.1985 Notification No. 7(2)/85 M-VI dated 3.9.1985

69. GSR No.146 dated 22.2.1986 Notification No. 7(6)/85 M-VI dated 6.2.1986

70. GSR No.888 dated 18.10.1986 (Notification No.7(4)/85-M-VI dated 22.9.1986

71. GSR No.86(E) dated 10.2.1987 (Notification No.1(7)/84-M-VI dated 10.2.1987

72. GSR No.855(E)dated 14.10.1987 (Notification No.18(9)/87-M-VI dated 14.10.1987

73. GSR No.1002(E) dated 21.12.1987 (Notification No.6(3)/87-M-VI dated 21.12.1987

74. GSR No.449 (E) dated 13.4.1988 (Notification No.7(7)/87-M-VI dated 13.4.1988

75 GSR No.908(E)dated 19.10.1989 (Notification No.7(1)/89-M-VI dated 19.10.1989

76. GSR No 129(E)dated 11.3.1991 (Notification No 7(1)/90-M-VI dated 20.2.1991

77. GSR No.197(E)dated 1.4.1991 (Notification No.7(1)/90-M-VI dated 1.4.1991)

78. GSR No. 6(E) dated 7.1.1993 (Notification No.7(3)/92-M.VI dated 7.1.1993.)

79 GSR No. 345(E) dated 30.3.1994 (Notification No. 7(1)/93-M.VI dated 30.3.1994)

80. GSR No.724(E)dated 27.9.1994 (Notification No.1(7)/93-M-VI dated 27.7.1994

81. GSR No.634(E)dated 13.9.1995 (Notification No.7(2)/95-M-VI dated 28.8.1995

82. GSR No.9(E) dated 4.1.1999 (Notification No.7(1)/98-M-VI dated 4.1.1999

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.